

टाप शीट

संचालन नियम संख्या इज्जत/23

लागू तिथि 2.4.2013

कासगंज-बधारीकला के मध्य इंजी० गेट संख्या 248/सी किमी० 241/1-2 को रक्षित करके टेलीफोन द्वारा स्टेशन मास्टर/कासगंज जं० से सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में कासगंज जं० स्टेशन के संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/23 दिनांक 1.2.2013 की संशोधन पर्ची संख्या 1 दिनांक 21.3.2013

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया :-

सामान्य भाग :-

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1 संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 7 पैरा 2.6 संशोधित
3. पृष्ठ संख्या 21 पैरा 5 संशोधित
4. पृष्ठ संख्या 26 पैरा 6.2 (घ) संशोधित
5. पृष्ठ संख्या 31 पैरा 6.6 (1) (i) (क) संशोधित
6. पृष्ठ संख्या 33 पैरा 6.6 (2) (घ) संशोधित

सिगनलिंग परिशिष्ट :-

1. परिशिष्ट 'क-VIII' इंजी० समपार सं० 248/सी के गेट अनुदेश पृष्ठ सं० 1 से 10 नये जोड़कर संशोधित

परिशिष्ट 'ख'

- 1 पृष्ठ सं० 1 पैरा 1 संशोधित
2. पृष्ठ सं० 23 पैरा 10 संशोधित
3. उपमुसिदूर्ई/निर्माण/ल०जं०/2008(आर०डी०)/1 दिनांक 18.8.2008 को उपमुसिदूर्ई/निर्माण/ल०जं०/2008(आर०डी०)/1 दिनांक 18.8.2008 Alt'A' दिनांक 21.3.2013 से बदला गया।

(अजय वर्मा)

वरि० मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०
इज्जतनगर

(जवाहर राम)

वरि० मण्डल परिचालन प्रबन्धक
इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

पूर्वोत्तर रेलवे
इज्जतनगर मण्डल

कासगंज जं० स्टेशन के कार्य संचालन नियम
(बडी लाइन/छोटी लाइन)

संख्या – इज्जत नगर/23

जारी तिथि –1.2.2013

लागू तिथि –9.2.2013

पुनरीक्षण तिथि–Jan-18

- क) बी श्रेणी, इकहरी लाइन अन्तर्पाशित मानक-III [बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित बडी लाइन]
- ख) बी श्रेणी, इकहरी लाइन अन्तर्पाशित मानक-I, मानक-III उपकरण के साथ [द्विसंकेती लोअर क्वाड्रेंट सेमाफोर सिगनलों सहित छोटी लाइन]
- ग) छोटी लाइन के लिए कासगंज जं० टर्मिनल स्टेशन है।

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

[सामान्य एवं सहायक नियम 8.01 (1),(क), (ग), 2(ख), 8.03 (क) (ख) (ग) (II) देखें]

टिप्पणी –1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/23 दिनांक 14.11.2008 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू सामान्य एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी पढा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में सामान्य एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख –

सी० एस० टी० ई०/कान/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या **NER / IZN / KSJ / SIP/2007/VER-ONE/46** संशोधन "एफ " पर आधारित इस स्टेशन का नियम आरेख संख्या **उपमुसिदूई/निर्माण/ल०जं०/2008 (आर० डी०) /1** दिनांक **18.09.2008** Alt'A' दिनांक **21.3.13** संलग्न है, जिसमे काटों सिगनलों तथा लाइनों की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित काटों तथा लाइनों की संख्या उल्लेख करना आवश्यक है।

(अजय वर्मा)

वरि० मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)

वरि० मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

2. स्टेशन का विवरण –2.1 सामान्य स्थिति –

कासगंज जं० स्टेशन कानपुर सेन्ट्रल-मथुरा जं० मार्ग पर इकहरी बडी लाइन पर बी श्रेणी का स्टेशन है तथा कानपुर सेन्ट्रल से 247.06 किमी० की दूरी तथा मथुरा जं० से 105.00 किमी की दूरी पर स्थित है। कासगंज जं० स्टेशन बरेली जं०-मथुरा जं० मार्ग पर बरेली जं० से 106.51 किमी की दूरी पर स्थित है।

2.2 तीनों ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगे2.2.1 ब्लाक स्टेशन –

बधारीकलॉ (पूर्व दिशा में)	09.66 किमी० की दूरी पर स्थित है।
मारहरा (पश्चिम दिशा में)	10.86 किमी० की दूरी पर स्थित है।
कासगंज सिटी (पश्चिम दिशा में)	06.44 किमी० की दूरी पर स्थित है।

नान ब्लाक स्टेशन – कोई नहीं ।

आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति –

इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच० व आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

बाहरी साइडिंग – कोई नहीं ।

स्टेशन के तीनों ओर के ब्लाक खंड –

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहां से "ब्लाक खंड" शुरू होता है।	वह स्थान जहाँ "ब्लाक खंड" समाप्त होता है।
कासगंज जं०- बधारीकलॉ	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-49 कासगंज जं०	अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 बधारीकलॉ
कासगंज जं० – मारहरा	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० 65 कासगंज जं०	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल मारहरा
कासगंज जं०- कासगंज सिटी	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 64 कासगंज जं०	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल कासगंज सिटी

2.4 ढलान यदि कोई हो – कोई नहीं ।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2.5 अभिन्यास:-

बड़ी लाइन का अभिन्यास 18 लाइनों का है। लाइन संख्या 1, 2 3, 4, 5 व 6 **परिचालित** लाइने हैं। सभी परिचालित लाइनें रेल परिपथ युक्त हैं। लाइन संख्या 7 से 18 तक **अपरिचालित** लाइन है। अपरिचालित लाइन संख्या 7 से 14 तक **बधारीकलॉ छोर** पर मुख्य लाइन से निकली है। अपरिचालित लाइन संख्या 17 व 18 परिचालित लाइन संख्या 4 से निकली है। **अपरिचालित** लाइन संख्या 15 **मारहरा छोर** पर लाइन संख्या 6 से निकली है। **छोटी लाइन** का अभिन्यास 20 लाइनों का है। लाइन संख्या 1 व 2 **परिचालित** तथा 11 **परिचालित डाक लाइन** है। सभी परिचालित लाइनें तथा डाक लाइन रेल परिपथ युक्त हैं। एम०जी० लाइन संख्या 3 से 8 तक **विखण्डित** है। **बधारीकलॉ छोर** पर **अपरिचालित** लाइन संख्या 12 से 18 एवं 20 शंटिंग नेक से निकली है। **अपरिचालित** लाइन 9, 10 व 19 **मारहरा छोर** पर है। लाइन संख्या 9 डाक लाइन संख्या 3 से तथा लाइन संख्या 4 लाइन संख्या 1 से निकली है। लाइन संख्या 10 **सैलून साइडिंग** है तथा लाइन संख्या 9 से निकली है।

2.5.1 (क) बी०जी० परिचालित लाइनें तथा उनकी ग्राह्य क्षमता

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर (सी०एस०आर०) में	टिप्पणी
लाइन संख्या 1	686 मीटर	लूप लाइन हाई तल आईलैण्ड का यात्री प्लेट फार्म, डाउन दिशा में स्नैग डेड एण्ड प्रदत्त है।
लाइन संख्या 2	686 मीटर	लूप लाइन हाई तल आईलैण्ड का यात्री प्लेट फार्म, अप एवं डाउन दिशा में भी स्नैग डेड एण्ड प्रदत्त है।
लाइन संख्या 3	686 मीटर	लूप लाइन, अप एवं डाउन दिशा में स्नैग डेड एण्ड प्रदत्त है।
लाइन संख्या 4	686 मीटर	लूप लाइन, अप एवं डाउन दिशा में स्नैग डेड एण्ड प्रदत्त है।
लाइन संख्या 5	686 मीटर	लूप लाइन, हाई तल आईलैण्ड का यात्री प्लेट फार्म, दोनों दिशा में स्नैग डेड एण्ड प्रदत्त है।
लाइन संख्या 6	686 मीटर	मेन लाइन, हाई तल आईलैण्ड का यात्री प्लेट फार्म प्रदत्त है।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

टिप्पणी-

- 1) **बडी लाइन** परिचालित लाइन संख्या 6 सीधी लाइन है। परिचालित लाइन संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 रेलपथ परिपथ युक्त (ट्रैक सर्किटेड) है। रेल पथ परिपथ अप एवं डाउन होम सिगनल से आगे 5 रेल तक दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर लाइन के अभिघृत (Occupied) तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल तथा सफेद प्रकाश के रूप में दिया गया है।
- 2) **बडी लाइन** अप एवं डाउन गाड़ियों किसी भी परिचालित लाइन पर ली जा सकती है तथा किसी भी परिचालित लाइन से भेजी जा सकती है।

2.5.1 (ख) एम०जी० परिचालित लाइनें तथा उनकी ग्राह्य क्षमता

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर मे (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
लाइन संख्या 1	370.332 मीटर (BHK छोर) 372.00 मीटर (MHA छोर)	मेन लाइन यात्री प्लेट फार्म सहित ।
लाइन संख्या 2	813.320 मीटर	लूप लाइन लो लेविल प्लेटफार्म सहित अप दिशा में शंटिंग नेक प्रदत्त है।
लाइन संख्या 11	330 मीटर	डाक लाइन प्लेट फार्म युक्त

टिप्पणी – छोटी लाइन परिचालित लाइन संख्या 1 कासगंज सिटी के लिए सीधी लाइन है। डाउन गाड़ियों किसी भी परिचालित लाइन पर ली जा सकती है। कासगंज सिटी से डाउन गाड़ी डाक लाइन संख्या 11 पर ली जा सकती है। अप गाड़ियों को किसी भी परिचालित लाइन से कासगंज सिटी का भेजा जा सकता है।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(क) बी०जी० अपरिचालित लाइने, उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई एवं ग्राह्य क्षमता

अपरिचालित लाइन संख्या	विवरण	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर (सी०एस०आर०)	टिप्पणी मे
लाइन संख्या 7	स्टेबलिंग लाइन	600 मीटर	—
लाइन संख्या 8	स्टेबलिंग लाइन	600 मीटर	—
लाइन संख्या 9	वाशिंग पिट लाइन	600 मीटर	—
लाइन संख्या 10	सिक लाइन	335 मीटर	—
लाइन संख्या 11	सिक लाइन	335 मीटर	—
लाइन संख्या 12	व्हील लेथ लाइन	225 मीटर	—
लाइन संख्या 13	शंटिंग नेक (बधारीकला छोर)	686 मीटर	—
लाइन संख्या 14	इंजन स्केप लाइन	780 मीटर	—
लाइन संख्या 15	शंटिंग नेक लाइन (मारहरा छोर)	686 मीटर	—
लाइन संख्या 16	रैक हैण्डलिंग साइडिंग	686 मीटर	—
लाइन संख्या 17	ए०आर०टी० साइडिंग	200 मीटर	—
लाइन संख्या 18	ए०आर०एम०ई० साइडिंग	200 मीटर	—

2.5.2 (ख) एम०जी० अपरिचालित लाइने, उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई एवं ग्राह्य क्षमता

अपरिचालित लाइन संख्या	विवरण	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर (सी०एस०आर०)	टिप्पणी मे
लाइन संख्या 9	साइडिंग लाइन	70 मीटर	—
लाइन संख्या 10	सैलून साइडिंग लाइन	155 मीटर	—
लाइन संख्या 12	डाक साइडिंग	286 मीटर	—
लाइन संख्या 13	डेड एण्ड साइडिंग	—	—
लाइन संख्या 14	डेड एण्ड वाशिंग पिट लाइन	256 मीटर	—
लाइन संख्या 15	डेड एण्ड साइडिंग	—	—
लाइन संख्या 16	डेड एण्ड साइडिंग	—	—
लाइन संख्या 17	साइडिंग लाइन	—	—
लाइन संख्या 18	साइडिंग लाइन	—	—
लाइन संख्या 19	इन्जन स्केप लाइन	330 मीटर	—
लाइन संख्या 20	शंटिंग नेक	870 मीटर	—

2.5.3 अभिन्यास में कोई विशेष बातें — कुछ नहीं।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2.6 समपार फाटक

स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति, एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है –

फाटक संख्या	श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नहीं	संचार	गाडी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक							
249ए	सी	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल तथा अप होम सिगनल के मध्य किमी० 244/9-10 पर स्थित है।	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर से टेलीफोन द्वारा	नहीं
250	सी	अप स्टार्टर सिगनल तथा रूटिंग होम सिगनल संख्या एस-5 के मध्य किमी० 246/4-5 पर स्थित है।	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत केबिनमैन	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर से टेलीफोन द्वारा	नहीं
309	सी	पूर्वी छोर पर शंटिंग नेक लाइन संख्या 13 (बी०जी०) पर किमी० 420/10-11 पर स्थित है।	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	नही	कार्यरत स्टेशन मास्टर से टेलीफोन द्वारा	नहीं
310	स्पे०	डाउन एडवान्स स्टार्टर संख्या एस-41 एवं अप रूटिंग होम संख्या एस-38 के मध्य किमी 245/2-3 पर स्थित है।	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत केबिनमैन	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर से टेलीफोन द्वारा	नहीं

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/23

कासगंज जं०.

इन्जीनियरिंग समपार फाटक							
316	सी	कासगंज सिटी तथा कासगंज जं० स्टेशनों के मध्य किमी० 422/9-10 पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिये बन्द	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर से टेलीफोन द्वारा	नहीं
317	सी	कासगंज सिटी तथा कासगंज जं० स्टेशनों के मध्य किमी० 422/11-12 पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिये बन्द	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर से टेलीफोन द्वारा	नहीं
318	ए	कासगंज सिटी तथा कासगंज जं० स्टेशनों के मध्य किमी० 422/13-14 पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर से टेलीफोन द्वारा	नहीं
248ए	बी	कासगंज जं० - बधारीकलौ स्टेशनों के मध्य किमी० 244/1-2 पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर से टेलीफोन द्वारा	नहीं
248	सी	कासगंज जं० - बधारीकलौ स्टेशनों के मध्य किमी० 241/1-2 पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर से टेलीफोन द्वारा	नहीं

नोट—समपार फाटकों के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'क' से 'क- VIII' में देखें।

3. संचालन की पद्धति एवं साधन

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों बधारीकलौ, मारहरा तथा कासगंज सिटी से इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति कार्य प्रणाली लागू है -

प्रदत्त ब्लाक यंत्र के प्रकार	सहकारी / असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाभियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
बड़ी लाइन पर इकहरी लाइन वाला पुश बटन टाइप टोकेनलेस ब्लाक यंत्र दूरभाष युक्त एक्सल काउन्टर के साथ बधारीकलौ एवं मारहरा स्टेशनों के साथ समान प्रकार के ब्लाक यंत्र से पृथक-पृथक सम्बद्ध।	असहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	---
छोटी लाइन पर इकहरी लाइन वाला दूरभाष युक्त नील्स टोकेन ब्लाक यंत्र कासगंज सिटी के साथ सम्बद्ध।	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	---

(अजय वर्मा)

(जवाहर राम)

वरि० मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर वरि० मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

[विशेष रूप से सहायक नियम 14.01 (क), 14.02 से 14.04, से 14.06, 14.11 से 14.13 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" एवं सामान्य एवं सहायक नियम 'क' अध्याय-14 तथा परिशिष्ट 'ख' का पैरा-12 देखें]

टिप्पणी – कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही ब्लाक यंत्रों को संचालित करता है।

[सहायक नियम 14.02 (V) एवं सामान्य नियम 14.03 एवं सामान्य तथा सहायक नियम 14.04 देखें]

4. संकेतन एवं अन्तर्पाशन की पद्धति –

4.1 विशेष संकेतन के लक्षणों सहित संकेतन के प्रकार

कासगंज जं० स्टेशन का बी०जी० यार्ड मानक-III अन्तर्पाशित बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला तथा एम०जी० यार्ड मानक-I अन्तर्पाशित द्विसंकेती लोअर क्वार्टेन्ट सेमाफोर सिगनलों वाला है। यहाँ बी०जी० परिचालित लाइन संख्या 1, 2, 3, 4, 5 व 6 तथा एम०जी० लाइन संख्या 1, 2 व 11 पर ट्रेक सर्किटिंग की व्यवस्था है। बड़ी लाइन के कांटों तथा सिगनलों का संचालन यार्ड के पूर्व छोर पर प्रदत्त सेण्ट्रल पैनल द्वारा किया जाता है। बी०जी० दोनो छोर पर होम सिगनल व विपरीत दिशा के एडवान्स स्टार्टर सिगनलों के मध्य एक्सल काउन्टर का प्रावधान है। इनके रिसेट बाक्स स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त है। (पैनल के परिचालन के लिए परिशिष्ट 'ख' का पैरा 2 देखें। छोटी लाइन के कांटों तथा सिगनलों का संचालन पश्चिम तथा पूर्व केबिन में प्रदत्त लीवरों द्वारा किया जाता है।

प्रदत्त सिगनल

(क) अप आगमन सिगनल (बधारीकलॉ से) –

अप डिस्टेन्ट सिगनल ए-42 ।

अप होम सिगनल संख्या एस-42 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) मुख्य सीधी लाइन संख्या 6 के लिए ।

अप होम सिगनल संख्या एस-42 (बायें से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 1, 2, 3 व 4 के लिए ।

अप होम सिगनल संख्या एस-42 (बायें से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 5 के लिए ।

अप रुटिंग होम सिगनल संख्या एस-38 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) लाइन संख्या 1 के लिए ।

अप होम सिगनल संख्या एस-38 (बायें से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 4 के लिए ।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

अप होम सिगनल संख्या एस-38 (बायें से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 3 के लिए ।

अप होम सिगनल संख्या एस-38 (बायें से तीसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 2 के लिए ।

अप होम सिगनल संख्या एस-38 (बायें से चौथा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 1 के लिए ।

(ग) **अप कालिंग आन सिगनल -**

अप कालिंग आन सिगनल संख्या सी-40 अप होम सिगनल संख्या एस-42 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है ।

अप कालिंग आन सिगनल संख्या सी-36 अप रूटिंग होम सिगनल संख्या एस-38 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है ।

(ध) **डाउन प्रस्थान सिगनल (बधारीकलॉ को) -**

डाउन स्टार्टर सिगनल संख्या एस-17 लाइन संख्या 6 से ।

डाउन स्टार्टर सिगनल संख्या एस-19 लाइन संख्या 5 से ।

डाउन स्टार्टर सिगनल संख्या एस-21 लाइन संख्या 1 से ।

डाउन स्टार्टर सिगनल संख्या एस-23 लाइन संख्या 2 से ।

डाउन स्टार्टर सिगनल संख्या एस-25 लाइन संख्या 3 से ।

डाउन स्टार्टर सिगनल संख्या एस-27 लाइन संख्या 4 से ।

डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-41 टोकनलैस ब्लाक यन्त्र की ट्रेन गोइंग टू पोजीशन से नियन्त्रित ।

(ड) **शंट सिगनल (बी०जी०) -**

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-94 कांटा संख्या 498 के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है ।	बधारीकलॉ छोर से लाइन संख्या 5 या 6 में या रूटिंग होम सिगनल संख्या एस-38 तक शंटिंग के लिये आने हेतु ।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-96 कांटा संख्या 499 एक्स के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है ।	बधारीकलॉ छोर पर स्थित वाशिंग पिट लाइन संख्या 9 से लाइन संख्या 5 या 6 में या रूटिंग होम सिगनल संख्या एस-38 तक शंटिंग के लिये आने हेतु ।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-98 कांटा संख्या 500 एक्स के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है ।	बधारीकलॉ छोर पर स्थित लाइन संख्या 7, 8 व 14 से लाइन संख्या 5 या 6 में या रूटिंग होम सिगनल संख्या एस-38 तक शंटिंग के लिये आने हेतु ।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

अप शंट सिगनल संख्या एसएच-68 कांटा संख्या 493ए के बाहर अप रुटिंग होम सिगनल संख्या एस-38 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	बधारीकलॉ छोर से लाइन संख्या 1 या 2 या 3 या 4 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-57 डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-17 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 6 से बधारीकलॉ छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या एस-41 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-59 डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-19 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 5 से बधारीकलॉ छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या एस-41 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-61 डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-21 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 1 से बधारीकलॉ छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या एस-41 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-63 डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-23 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 2 से बधारीकलॉ छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या एस-41 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-65 डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-25 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 3 से बधारीकलॉ छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या एस-41 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-67 डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-27 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 4 से बधारीकलॉ छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या एस-41 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-89 कांटा संख्या 215 के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन सं 17 पर डाउन शंट सिग. सं एसएच-91 या लाइन सं 18 पर डाउन शंट सिग.सं एसएच -93 तक आने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-90 कांटा संख्या 215 के अन्दर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 17 से डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-88 तक जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-92 कांटा संख्या 215 के अन्दर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 18 से डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-88 तक जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-91 कांटा संख्या 488 के अन्दर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 17 से बधारीकलॉ छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या एस-41 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-93 कांटा संख्या 488 के अन्दर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 18 से बधारीकलॉ छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या एस-41 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(च) डाउन आगमन सिगनल (मारहरा से) -

- (I) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल ए-1 डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 के आस्पेक्ट द्वारा नियन्त्रित
- (II) डाउन मेन होम सिगनल संख्या एस-1 (दाहिने से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 4 के लिए ।
- (III) डाउन मेन होम सिगनल संख्या एस-1 (दाहिने से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 3 के लिए ।
- डाउन मेन होम सिगनल संख्या एस-1 (दाहिने से तीसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 1 या 2 या 5 या 6 के लिए रुटिंग होम सिगनल संख्या एस-5 तक आने के लिये ।
- डाउन रुटिंग होम सिगनल संख्या एस-5 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) लाइन संख्या 6 पर आने के लिए ।
- डाउन रुटिंग होम सिगनल संख्या एस-5 (दाहिने से पहला जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 2 पर आने के लिए ।
- डाउन रुटिंग होम सिगनल संख्या एस-5 (दाहिने से दूसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 1 पर आने के लिए ।
- डाउन रुटिंग होम सिगनल संख्या एस-5 (दाहिने से तीसरा जंक्शन इंडिकेटर सहित) लाइन संख्या 5 पर आने के लिए ।

(छ) डाउन कालिंग आन सिगनल -

- (I) डाउन कालिंग आन सिगनल संख्या सी-3 डाउन मेन होम सिगनल संख्या एस-1 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है ।
- (II) डाउन कालिंग आन सिगनल संख्या सी-7 डाउन रुटिंग होम सिगनल संख्या एस-5 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है ।

(ज) अप प्रस्थान सिगनल (मारहरा को) -

- (I) अप स्टार्टर सिगनल संख्या एस-16 लाइन संख्या 6 से ।
- (II) अप स्टार्टर सिगनल संख्या एस-18 लाइन संख्या 5 से ।
- (III) अप स्टार्टर सिगनल संख्या एस-20 लाइन संख्या 1 से ।
- (IV) अप स्टार्टर सिगनल संख्या एस-22 लाइन संख्या 2 से ।
- (V) अप स्टार्टर सिगनल संख्या एस-24 लाइन संख्या 3 से ।
- (VI) अप स्टार्टर सिगनल संख्या एस-26 लाइन संख्या 4 से ।
- (VII) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 टोकनलैस ब्लाक यन्त्र की ट्रेन गोइंग टू पोजीशन से नियन्त्रित ।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-85 कांटा संख्या 202ए के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	मारहरा छोर से लाइन संख्या 3 या 4 में या लाइन संख्या 17 एवं 18 के पहले लगे शंट सिगनल संख्या एसएच-89 तक या रुटिंग होम सिगनल संख्या एस-5 तक शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-87 कांटा संख्या 202ए के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	शंटिंग नेक लाइन संख्या 15 से लाइन संख्या 3 या 4 में या लाइन संख्या 17 के पहले लगे शंट सिगनल संख्या एसएच-89 तक या रुटिंग होम सिगनल संख्या एस-5 तक शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-45 डाउन रुटिंग होम सिगनल संख्या एस-5 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	मारहरा छोर से लाइन संख्या 1 या 2 या 5 या 6 तक शंटिंग के लिये आने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-88 कांटा संख्या 205एक्स के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 17 अथवा 18 से मारहरा छोर पर अप एडवान्स स्टार्टर सिगनल संख्या एस-2 तक या शंटिंग नेक लाइन संख्या 15 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-56 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-16 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 6 से मारहरा छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-2 तक या शंटिंग नेक लाइन संख्या 15 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-58 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-18 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 5 से मारहरा छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-2 तक या शंटिंग नेक लाइन संख्या 15 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-60 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-20 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 1 से मारहरा छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-2 तक या शंटिंग नेक लाइन संख्या 15 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-62 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-22 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 2 से मारहरा छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-2 तक या शंटिंग नेक लाइन संख्या 15 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

अप शंट सिगनल संख्या एसएच-64 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-24 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 3 से मारहरा छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-2 तक या शंटिंग नेक लाइन संख्या 15 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-66 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-26 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 4 से मारहरा छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-2 तक या शंटिंग नेक लाइन संख्या 15 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।

(ज) डाउन आगमन सिगनल एम०जी० (कासगंज सिटी से) -

डाउन वार्नर सिगनल (Fixed At ON) ।

डाउन आउटर सिगनल (मोटर चालित) ।

डाउन ब्रेकेटेड होम सिगनल (मोटर चालित) का विवरण -

- (1) आर्म संख्या 3ए लाइन संख्या 1 के लिए ।
- (2) आर्म संख्या 3बी लाइन संख्या 2 के लिए ।
- (3) आर्म संख्या 4 डाक लाइन संख्या 11 के लिए ।

(ट) अप प्रस्थान सिगनल (कासगंज सिटी को) -

अप प्रस्थान सिगनल संख्या 74 लाइन संख्या 1 से ।

अप प्रस्थान सिगनल संख्या 73 लाइन संख्या 2 से ।

अप प्रस्थान सिगनल संख्या 68 लाइन संख्या 11 से ।

अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 64

(ठ) शंट सिगनल (एम०जी०) डिस्क प्रकार का -

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
डाउन शंट सिगनल संख्या 6 ब्रेकेटेड होम सिगनल के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	कासगंज सिटी छोर से लाइन संख्या 1 या 2 या 9 या 10 या 11 या 19 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या 51 कांटा संख्या 53 के पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन संख्या 9 से लाइन संख्या 1 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या 16 टर्मिनल छोर पर कांटा संख्या 24 के पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन संख्या 1 से शंटिंग नेक लाइन संख्या 20 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या 17 टर्मिनल छोर पर कांटा संख्या 24 के पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन संख्या 2 से शंटिंग नेक लाइन संख्या 20 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

डाउन शंट सिगनल संख्या 22 टर्मिनल छोर पर कांटा संख्या 23 के पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	डाक लाइन संख्या 12 से शंटिंग नेक लाइन संख्या 20 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या 32 कांटा संख्या 30 से पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन संख्या 13 या 14 या 15 या 16 या 17 से शंटिंग नेक लाइन संख्या 20 में शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या 31 कांटा संख्या 30 के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	शंटिंग नेक लाइन संख्या 20 से लाइन संख्या 1 या 2 या 12 या 13 या 14 या 15 या 16 या 17 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
शंट सिगनल संख्या 62 अप प्रस्थान सिगनल संख्या 73 के नीचे प्रदत्त है।	लाइन संख्या 2 से कासगंज सिटी छोर पर अप एडवान्स स्टार्टर सिगनल संख्या 64 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
शंट सिगनल संख्या 63 अप प्रस्थान सिगनल संख्या 74 के नीचे प्रदत्त है।	लाइन संख्या 1 से कासगंज सिटी छोर पर अप एडवान्स स्टार्टर सिगनल संख्या 64 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या 38 कांटा संख्या 37 के पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	इन्जिन स्केप लाइन संख्या 19 से कासगंज सिटी छोर पर अप एडवान्स स्टार्टर सिगनल संख्या 64 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या 39 कांटा संख्या 31 के पहले स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन संख्या 9 अथवा 10 से कासगंज सिटी छोर पर अप एडवान्स स्टार्टर सिगनल संख्या 64 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।

(ढ) पुनरावर्तक (रिपीटर) –

कासगंज सिटी साइड डाउन होम सिगनल के लिए बैनर रिपीटर का प्रावधान दिया गया है।

4.1 (क) बी०जी० के सभी कॉटे एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियंत्रक पैनल कहते हैं। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, कॉटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर पैनल पर दिया गया है। कॉटों एवं संकेतकों के प्रचालन हेतु रूट बटन एवं सिगनल बटन प्रदत्त है। एम०जी० के सभी काटों एवं सिगनल पूर्व केबिन में प्रदत्त 65 लीवर (47 लीवर स्पेयर हैं) वाले फ्रेम द्वारा तथा पश्चिम केबिन में प्रदत्त 80 लीवर (57 लीवर स्पेयर हैं) वाले फ्रेम द्वारा परिचालित किये जाते हैं। पूर्व केबिन के कांटों तथा सिगनलों की संख्या को वृत्त में तथा पश्चिम केबिन के कांटों तथा सिगनलों की संख्या को बिना वृत्त के दर्शाया गया है।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/23

कासगंज जं०

- (ख) इस स्टेशन पर **बी०जी०** के लिए प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल है तथा **एम०जी०** के लिए दो संकेती लोवर क्वाड्रेंट सिगनल है ।
- (ग) **बी०जी०** में दोनों ओर के होम एवं रूटिंग होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पंक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जंक्शन इन्डिकेटर दिये गये हैं। जंक्शन इन्डिकेटर सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करेगा। एक पंक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ लूप मार्ग (डाइवर्जिंग रूट) इंगित करेगी।
- (ड.) (I) **बी०जी०** में स्टेशन मास्टर कांटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर नियंत्रण चाभी जो पैनल मुक्तक पास (पैनल रिलीज लॉक) को लॉक करती है, द्वारा नियंत्रण रखता है। जब यह लाकड स्थिति में होता है तो यह विद्युतीय रूप से कांटों एवं सिगनलों पर नियंत्रण वियोजित कर देता है। जब तक यह चाभी लगाकर घुमायी न जाये, कांटों एवं संकेतकों का प्रचालन रूट बटन एवं सिगनल बटन के दबाये जाने पर कोई परिणाम नहीं देगा।
- (II) **एम०जी०** में कार्यरत स्टेशन मास्टर का आगमन एवं प्रस्थान सिगनलों पर नियंत्रण स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त **32 स्लाइडों (25 स्लाइड स्पेयर हैं)** वाले स्टेशन मास्टर के नियंत्रण स्लाइड बाक्स द्वारा किया जाता है।
- (च) **बी०जी०** में स्टेशन मास्टर द्वारा 'आफ' किये गये सिगनलों को आन करने के बाद रूट निरस्तीकरण के लिये इयूवाईएन (**EUYN**) बटन के साथ सिगनल बटन को दबाने पर निर्धारित 120 सैकेण्ड समयान्तराल के बाद रूट निरस्त हो जाता है और काँटे संचालन हेतु मुक्त हो जाते हैं।
- (छ) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट 'ख' में उल्लेखित अनुदेशों को देखें।
- (ज) **एम०जी०** लाइन संख्या 1, 2 एवं 11 रेलपथ परिपथ युक्त (ट्रैक सर्किटेड) है तथा उसे चित्रारेख में दर्शाया गया है। जब लाइन का ट्रैक सर्किटेड पोर्शन आकुपाइड अथवा विफल होता है या लाइन संख्या 1, 2 एवं 11 के रेलपथ परिपथ का कोई प्रकाश चिन्ह न दिखाई देने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर लाइनों का साफ होना रेल पथ परिपथ रहित लाइनों की भाँति स्वतः सुनिश्चित किया जायेगा।
- (झ) एक चित्रारेख **एम०जी०** लाइनों का पूर्व एवं पश्चिम केबिनों में भी दिया गया है। जब कार्यरत स्टेशन मास्टर होम सिगनल स्लाइड या प्रस्थान सिगनल स्लाइड खींचता है तो सम्बन्धित केबिन के चित्रारेख में केबिनमैन को सिगनलों के आफ करने के संकेत स्वरूप एक सफेद प्रकाश तदनुरूपी सिगनल में जल उठेगा।
- (ट) **स्लाटिंग** का प्रयोजन है कि एक स्लाटेड सिगनल लाइन की अपेक्षित जोन की क्लीयरेंस के लिए उत्तरदायी सभी संस्थाओं के सम्मिलित प्रयास के बिना "आफ" नहीं किया जा सके परन्तु जब एक बार सिगनल आफ कर दिया गया हो तो उनमें से कोई सम्बन्धित लीवरो/स्लाट लीवरों/स्लाइड को वापस करके सिगनल को "आन" कर सकता है।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/23

कासगंज जं०

- (ठ) स्टेशन मास्टर के नियंत्रण स्लाइड बाक्स के विवरण एवं पुल शीट सहित प्रत्येक केबिन में प्रदत्त लीवरों के विवरण एवं कार्य हेतु संकेतन **परिशिष्ट 'ख'** देखें।
- (ड) डाउन होम सिगनल संख्या 4 में अलग पहचान हेतु **"डी"** आकृति की डिस्क प्रदत्त की गई है क्योंकि यह डाक लाइन संख्या 11 पर डाउन गाड़ियों के आगमन को नियंत्रित करता है।
- (ढ) अन्तपार्शन विफल होने की दशा में लाइनें जिनके लिये होम सिगनल **"आफ"** नहीं किया जा सकता है, अन्तपार्शन रहित समझी जायेंगी एवं गाड़ियों को टी/369(3 b) जारी करके पायलट किया जायेगा।

[सामान्य एवं सहायक नियम 3.39 (ii) 3.68, सहायक नियम 3.69 (2) (iii) (iv), 3.69 (3) (i)(ii), 3.69 (4)(i)(ii)]

4.1.1 स्टेशन मास्टर पैनल बी०जी० -

स्टेशन के पूर्वी छोर पर स्टेशन मास्टर कंट्रोल पैनल का प्रावधान है जिससे पुश बटनों द्वारा मोटर कांटों एवं सिगनलों इत्यादि का संचालन तथा समपार फाटकों का नियंत्रण किया जाता है जिनकी स्थिति दर्शाने हेतु सूचक बत्ती का प्रावधान है। पैनल से कांटों एवं सिगनलों आदि के संचालन हेतु एक साथ दो पुश बटन दबाना आवश्यक है पैनल पर प्रदत्त पुश बटनों इंडिकेशन, चाभी इत्यादि का विवरण निम्नवत् है -

4.1.1.1 स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी :-

स्टेशन मास्टर पैनल द्वारा कांटों एवं सिगनलों आदि का अनाधिकृत संचालन रोकने हेतु पैनल पर यह चाबी लगी रहती है। जब तक यह चाबी पैनल से निकली रहेगी तब तक कांटों, सिगनलों आदि के संचालन का कार्य विद्युतीय सम्बन्ध विच्छेदित रहेगा किन्तु कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं ई० जी०जी० एन० बटन एक साथ दबाकर सिगनलों को आफ' से आन' स्थिति में वापस कर सकता है। निरस्त करने पर जब काँटा का लाक लाइट अदृश्य हो जाय, मार्ग बदला जा सकता है। पैनल से स्टेशन मास्टर की चाबी निकली होने पर भी ये बटन आपरेट करने पर परिणाम देंगे।

चाबी लगाकर घुमा देने के पश्चात पैनल पर लगे पुश बटनों द्वारा कांटों एवं सिगनलों आदि का संचालन किया जा सकता है। स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी चाहे पैनल से बाहर निकली हो या पैनल में लगी हो सभी ट्रैक सर्किट, कांटों, सिगनलों के आस्पैक्ट आदि का इंडिकेशन अंतिम संचालन स्थिति में प्रकाशित रहेंगे।

4.1.1.2 स्टेशन मास्टर की आपात कालीन रुट रिलीज चाभी -

पैनल पर एक स्टेशन मास्टर आपात कालीन रुट रिलीज चाभी का प्रावधान है। जब किसी कारणवश रुट रिलीज नहीं होता है तब स्टेशन मास्टर द्वारा पैनल पर इस चाभी को लगाने के पश्चात ई०यू०वाई०एन० बटन एवं सिगनल बटन को एक साथ दबाने पर रुट तुरन्त रिलीज हो जाता है तथा रुट के कांटे संचालन के लिए मुक्त हो जाते हैं।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/23

कासगंज जं०

4.1.1.3 पुश बटन—स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर निम्नलिखित पुश बटनों का प्रावधान है –

4.1.1.4 सिगनल बटन –पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिए अलग-अलग पुश बटन का प्रावधान है जो सम्बन्धित सिगनल के निकट लगा हुआ है। सिगनल आफ करने हेतु जिस सिगनल को 'आफ' करना है उस सिगनल का सिगनल बटन एवं जिस लाइन पर गाड़ी को लेना/भेजना है उस लाइन पर स्थित रुट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जायेगा।

4.1.1.5 रुट बटन – पैनल पर जिन लाइनों के लिए सिगनल "आफ" किया जाता है उन लाइनों पर अलग-अलग रुट बटन का प्रावधान किया गया है। सिगनल बटन एवं रुट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल "आफ" हो जाता है। जैसे कि लूप लाइन संख्या 2 में अप गाड़ी के आगमन हेतु अप होम सिगनल संख्या **एस-38** को "आफ" करने के लिए सिगनल बटन संख्या **एस-38** तथा लाइन संख्या 2 पर स्थित रुट बटन संख्या "**एफ**" को एक साथ दबाने पर रुट सेट हो जायेगा और सिगनल "आफ" हो जायेगा। इसी प्रकार डाउन एडवान्स स्टार्टर संख्या **एस-41** को "आफ" करने हेतु लाइन क्लीयर प्राप्त करने के पश्चात सिगनल बटन संख्या **एस-41** तथा रुट बटन संख्या "**पी**" को एक साथ दबाने पर डाउन एडवान्स स्टार्टर सिगनल संख्या **एस-41** 'आफ' हो जायेगा।

4.1.1.6 कांटा बटन –

पैनल के दोनों सिरों पर कांटों के संचालन के लिए प्रत्येक कांटे के लिए उसका पुश बटन दिया गया है। कांटे को नार्मल स्थिति में करने के लिए उस कांटे का बटन तथा साथ में एन०डब्लू०डब्लू०एन० पुश बटन दबाना होगा इसी प्रकार कांटे को रिवर्स स्थिति में करने के लिए उस कांटे का बटन तथा आर०डब्लू०डब्लू०एन० पुश बटन दबाने से कांटा रिवर्स स्थिति में संचालित हो जायेगा। कांटों का अलग-अलग संचालन गाड़ियों को 'कालिंग आन' सिगनल पर रिसीव करने तथा गाड़ी के पूर्ण आगमन के पश्चात कांटों को नार्मल अथवा रिवर्स करने के लिए किया जायेगा।

(स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध अन्य बटनों के संचालन के लिए परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित विवरण देखें।

4.1.1.7 ई०यू०यू०वाई०एन०(आपात कालीन रुट रिलीज) बटन –

यह सील बन्द बटन है। यदि किसी कारणवश रुट रिलीज नहीं होता है तब पैनल पर आपात कालीन रुट रिलीज चाबी लगाने के पश्चात ई०यू०यू०वाई०एन० बटन एवं सिगनल बटन/प्वाइंट बटन को एक साथ दबाने पर रुट तुरन्त (रिलीज) मुक्त हो जाता है। रुट रिलीज करने के बाद इस बटन को पुनः ई०एस०एम० द्वारा सील कर दिया जायेगा। इस बटन का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। स्टेशन मास्टर सम्बन्धित प्वाइंट जोन की व्यक्तिगत रूप से जाँच करे कि ट्रैक साफ है या नहीं है। यदि ट्रैक साफ है तभी इस बटन का प्रयोग किया जाये तथा इसकी प्रविष्टि इस उद्देश्य के लिए बनाई गई पंजिका में अवश्य किया जाये।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

4.1.18 ई०डब्लू०एन० बटन –

यह सील बन्द बटन है। पैनल पर प्वाइंट पोर्सन का कोई ट्रैक कांटे की नार्मल या रिवर्स स्थिति किसी कारणवश यदि लाल संकेत प्रदर्शित करता है तो इस स्थिति में प्वाइंट को संचालित करने के लिए इस EWN बटन के साथ NWWN/RWWN को दबाने के पश्चात EWN बटन को छोड़कर NWWN/RWWN दबाए रखते हुए सम्बन्धित प्वाइंट के बटन को दबाकर प्वाइंट नार्मल/रिवर्स स्थिति में किया जा सकता है। इस बटन का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। स्टेशन मास्टर सम्बन्धित प्वाइंट जोन की व्यक्तिगत रूप से जाँच करे कि ट्रैक साफ है या नहीं है। यदि ट्रैक साफ है तभी इस बटन का प्रयोग किया जाये तथा इसकी प्रविष्टि इस उद्देश्य के लिए बनाई गई पंजिका में अवश्य किया जाये।

4.1.3 रिमाइन्डर कालर –

पैनल के ऊपर बने प्रोजेक्शनों पर लाल रंग के रिमाइन्डर कालर का प्रावधान है जिन्हें आवश्यकतानुसार सिगनल या कॉटा बटन पर लगा देने से उन्हें दबाया नहीं जा सकेगा। इससे स्टेशन मास्टर को पहले चेतावनी मिल जाती है कि उन्हें इस बटन को संचालित नहीं करना है।

अप एवं डाउन अभिस्वीकृति बटन –

गाडी के होम सिगनल पार करने के पश्चात स्टेशन मास्टर पैनल पर बजर बजने लगता है। जब गाडी विपरीत दिशा के एडवान्स स्टार्टर सिगनल को पार कर जाय तब अप/डाउन होम सिगनल बटन तथा अप/डाउन एकनालेज बटन को एक साथ दबाने पर बजर बजना बन्द हो जायेगा ऐसा नहीं करने अथवा बजर बजने से पूर्व ही एकनालेज बटन को दबा देने से टोकेनलेस ब्लाक उपकरण विफल हो जायेगा।

स्थाई रूप से तालाबन्द कॉटे/पृथक्करण (आइसोलेशन) एम०जी० –

कांटा संख्या	विवरण	संकेतक लगे हैं या नहीं	सेटिंग की सामान्य स्थिति	चाभी जिसके द्वारा नियन्त्रित	मोटर चालित अथवा यांत्रिक चालित	टैक सर्किटेड है या नहीं	पृथक्करण के साधन	टिप्पणी
101 – 101 ए	क्रास ओवर कॉटा	नहीं	लाइन सं० 19 के विपरीत तथा लाइन सं० 11 के लिये सेट एवं लाक ।	54आर	हस्त चालित	नहीं	डाक लाइन संख्या 11 को लाइन संख्या 19 से पृथक करता है।	चाभी 54 आर पश्चिम केबिन में लीवर संख्या 54 में लाक रहती है।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

टिप्पणी

- (I) **54आर** चाभी सामान्तया **पश्चिम केबिन** के लीवर संख्या **54** में लाक रहती है । इसे लीवर को रिवर्स कर निकाल कर शंटिंग संचलन के प्रयोग में लाया जायेगा ।
- (II) कांटा संख्या **101ए** Double HPK तथा कांटा संख्या 101 Single HPK लाक प्रदत्त कांटे है। कांटा संख्या 101 पर किसी भी फेसिंग संचलन की स्थिति में इसको क्लैम्प पैड लाक अवश्य किया जाये। उपरोक्त चाभी, पाशित कांटों के खराब हो जाने की दशा में कांटों को उनकी सामान्य दशा में क्लैम्प करके ताला बन्द अवश्य कर देना चाहिये तथा चाभी कार्यरत स्टेशन मास्टर की निजी अभिरक्षा में रहनी चाहिये। इस स्थिति में यह कांटे स्थाई ताला बन्द कांटें श्रेणी 'ए' के माने जायेंगे। [सहायक नियम 5.01 (8) देखें]
- (III) **बी०जी०** पैनल पर कांटों की सही सेटिंग एवं पाशित होने का तथा संबंधित होम एवं प्रस्थान सिगनलों का 'आफ' संकेत न मिलने की दशा में कार्यरत स्टेशन मास्टर को सामान्य एवं सहायक नियम 3.39 के अनुसार कार्य करना चाहिये।

4.1.5 विद्युत चालित कांटा मशीन/क्रैन्क हैण्डिल –

- 4.1.5.1** मोटर संचालित कांटों की विफलता की स्थिति में अथवा टेस्टिंग हेतु क्रैन्क हैण्डिल द्वारा कांटों संचालन किया जाता है। स्टेशन पर **तेरह** क्रैन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी का प्रावधान है। **तीन** क्रैन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी स्पेयर हैं । स्टेशन मास्टर द्वारा क्रैन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी निकालने की पद्धति निम्नवत् है –
- (i) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर संबंधित चाभी का वाईएन एवं जीबीएन बटन एक साथ दबायेंगे।
- (ii) विद्युत कांटा मशीन को आपात कालीन संचालन हेतु जब सभी शर्तें पूर्ण होती है तो पैनल पर क्रैन्क हैण्डिल बटन पर एक लाल बत्ती प्रकाशित हो जायेगी तब स्टेशन मास्टर धीरे से क्रैन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी को धुमाकर निकाल लेगे। परिशिष्ट ख' के पैरा 7.3 वर्णित विधि से कांटों का संचालन किया जाये तथा कार्य पूरा हो जाने पर क्रैन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी को पुनः क्रैन्क हैण्डिल लाक में लगाकर पूर्ववत् स्थिति में घुमा दिया जाये। स्टेशन मास्टर द्वारा नियंत्रण पैनल पर संबंधित क्रैन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी का एलएन एवं जीबीएन बटन एक साथ दबाने पर क्रैन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी लाक हो जायेगा तथा क्रैन्क हैण्डिल के एलएन बटन के ऊपर क्रैन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी लाक होने का सफेद इंडिकेशन प्रकाशित हो जायेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

4.1.5.2 क्रैन्क हैण्डिल एवं उनके द्वारा नियंत्रित कांटो का विवरण निम्नवत् है –

क्रैन्क हैण्डिल संख्या	उनके द्वारा नियंत्रित कांटो का विवरण
सी०एच० – 1	स्पेयर
सी०एच० – 2	202ए–202बी, 203एक्स
सी०एच० – 3	204ए–204बी
सी०एच० – 4	205–205एक्स, 207ए–207बी
सी०एच० – 5	208, 209ए–209बी, 210
सी०एच० – 6	स्पेयर
सी०एच० – 7	214ए–214बी
सी०एच० – 8	215
सी०एच० – 9	488, 489–489एक्स, 490ए–490बी
सी०एच० – 10	491, 492ए–492बी, 493ए–493बी, 497
सी०एच० – 11	494ए–494बी
सी०एच० – 12	स्पेयर
सी०एच० – 13	498, 499–499एक्स, 500एक्स

4.1.5.3 प्रत्येक समय जब क्रैन्क हैण्डिल द्वारा परिचालित कांटों के हस्त प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस संबंध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये –

क्र म सं०	क्रैन्क हैण्डिल चाभी निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैन्क हैण्डिल चाभी निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैन्क हैण्डिल चाभी निकालने का उद्देश्य विफलता/ परीक्षण	क्रैन्क हैण्डिल चाभी निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर पंजीकृ त संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्ष र	क्रैन्क हैण्डिल चाभी वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्ष र	टिप्पण ी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/23

कासगंज जं०

4.2 रिले कक्ष की चाभियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हे लेने देने की कार्य पद्धति

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इण्टरलाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं सिगनल स्टाफ) द्वारा बन्द किया जाये। इसकी आवश्यकता पडने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस० एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात् ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाभी सौपनी चाहिये। एम०जी० दोनों केबिनो के बेसमेन्ट को दोहरे ताले से लाक करके खोलने की आवश्यकता पडने पर इसी प्रकार की पंजिका में प्रविष्टि सुनिश्चित की जाये।

4.3 विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)

इस स्टेशन पर सिगनलो को प्रकाशित करने के लिए सामान्यतः दो IPS का प्रावधान है। जिसकी बैट्री Commercial Light/जनरेटर की सप्लाई से चार्ज होती है। केवल सिगनल लाइट की विफलता के समय जनरेटर स्टार्ट करके सिगनल प्रकाशित किये जा सकते हैं किन्तु अन्य परिस्थितियों में IPS विफल होने पर सम्पूर्ण पैनल विफल हो जायेगा। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट ख का पैरा 13 में देखें)

5. दूर संचार –स्टेशन मास्टर मेन एवं पैनल से सम्बद्ध टेलीफोन

- (i) कासगंज सिटी के नील्स टोकेन ब्लाक यन्त्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन ।
- (ii) मारहरा स्टेशन के टोकनलेस ब्लाक यन्त्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन ।
- (iii) बधारीकलॉ स्टेशन के टोकनलेस ब्लाक यन्त्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन ।
- (iv) स्टेशन मास्टर पैनल, स्टेशन मास्टर, पूर्व केबिन व पश्चिम केबिन के मध्य मैगनेटो टेलीफोन तथा पूर्व व पश्चिम केबिन के मध्य सीधे दूरभाष ।
- (v) स्टेशन मास्टर पैनल से ट्रैफिक गेट सं० 249ए/सी से सम्बद्ध मैगनेटो टेलीफोन ।
- (vi) स्टेशन मास्टर पैनल से ट्रैफिक गेट सं० 309/सी से सम्बद्ध मैगनेटो टेलीफोन ।
- (vii) स्टेमा. से इन्जी० गेट सं० 316/सी (KSJ-KJC) से सम्बद्ध मैगनेटो टेलीफोन ।
- (viii) स्टेमा० से इन्जी० गेट सं० 317/सी (KSJ-KJC)से सम्बद्ध मैगनेटो टेलीफोन ।
- (ix) स्टेमा. से इन्जी० गेट सं० 318/ए (KSJ-KJC) से सम्बद्ध मैगनेटो टेलीफोन ।
- (x) स्टेमा. पैनल से इन्जी० गेट सं० 248ए/बी, 248/सी(KSJ-BHK) से सम्बद्ध मैगनेटो टेलीफोन
- (xi) दोनों केबिनो एवं स्टेमा० मेन व स्टेशन मास्टर पैनल के मध्य ए०डी०एम० टेलीफोन
- (xii) बी०एस०एन०एल० फोन ।
- (xiii) इज्जतनगर नियंत्रण कार्यालय से सम्बद्ध नियंत्रण टेलीफोन ।
- (xiv) 25 वाट वी०एच०एफ० सेट ।

(संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाडी संचालन कार्यप्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 10A देखें)

(अजय वर्मा)

वरि० मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)

वरि०मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

6. गाडी संचालन की प्रणाली

6.1 गाडियों का आगमन एवं प्रस्थान सामान्य एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 8.03 (2), 8.10 एवं 8.12 में उल्लेखित अनुदेशों के अनुसार गाडियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल 'आफ' किये जायेंगे।

1) बी०जी० गाडियों का आगमन –

जब परिचालित लाइन संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 पर आगमन करना हो तो स्टेशन मास्टर को चाहिये कि –

- (क) जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित रेल पथ परिपथ के लिये रेल पथ अभिधारिता (आक्यूपेन्सी) बलितियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।
 (ख) सुनिश्चित करें कि वाँछित लाइन जिस पर आगमन करना है, साफ एवं बाधा रहित है तथा लाइन निम्न स्थान तक साफ होना चाहिए –

(i) अप गाडियों के लिए

लाइन संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 5 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक तथा लाइन संख्या 6 के लिए समपार संख्या 250 के पहले तक।

(ii) डाउन गाडियों के लिए

लाइन संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 5 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक तथा लाइन संख्या 6 के लिए कांटा संख्या 494ए तक।

(ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाभी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनायें।

(घ) सुनिश्चित करें कि अप गाडियों के लाइन संख्या 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 पर आगमन के लिए गेट संख्या 249, 310 को बन्द एवं लाक कराने के लिए दोनो ओर के कार्यरत केबिनमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट के अनुसार सूचित करें। गेट नियंत्रण बटन 553 तथा 552 को लाकड स्थिति में दबाया जायेगा। इससे पैनल पर इन्डीकेशन दिखाई देगा। डाउन गाडी के मामले में समपार संख्या 250 को बन्द व लाक करा कर गेट नियंत्रण बटन 551 दबाया जाये तथा गेट लॉक इन्डीकेशन पैनल पर उपलब्ध हो।

(ङ) आनेवाली गाडी के लिये वाँछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।

(च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।

(छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बलितियाँ जल जायेंगी।

(ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट लघु सफेद बलितियाँ जल गई हैं जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा हैं। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाडी के लिये आगमन के आफ होने का सूचक है।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल "आन" स्थिति में हो गये हैं। जैसे ही गाड़ी होम सिगनल को पार करेगी स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल पर एक बजर बजने लगेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर जब गाड़ी पूर्णरूपेण विपरीत दिशा के एडवान्स स्टार्टर के अन्दर आ जाये तब होम सिगनल बटन को दबाकर एकनालेज करें तो यह बजर बजना बन्द हो जायेगा। ध्यान रखें कि उनके ऐसा नही करने या बजर बजने से पूर्व ही इसको एकनालेज कर लेने से ब्लाक यन्त्र विफल हो जायेगा।
- (ट) स्टेशन पैनल को देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती जाती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं। और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर जल जाती हैं।
- (ठ) गाड़ी का पूर्ण आगमन व कांटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों के अन्दर आ जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों को अवरुद्ध लाइन के विपरीत सेट करें। गाड़ियों की क्रासिंग की स्थिति में दोनो ओर के कांटो को अवरुद्ध लाइन के विपरीत सेट करें। गाड़ी के स्टेशन से प्रस्थान हो जाने के पश्चात कांटो एवं सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकालकर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
(ब्लाक लाइन के विरुद्ध कांटो को सेट करने के लिए सा० एव स० नि० 05१19 देखियें तथा एक्सिल काउन्टर की विफलता की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 4.5 देखें)

2) एम०जी० गाड़ियों का आगमन –

- (क) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद की लाइन जिस पर वह गाड़ी लेना चाहता है साफ एवं बाधा रहित है। यार्ड के दोनों केबिनों में कार्यरत केबिनमैनों को गाड़ी की संख्या, गाड़ी का विवरण तथा लाइन संख्या जिस पर गाड़ी को लिया जाना है के सम्बन्ध में एक गोपनीय संख्या द्वारा अनुपोषित निर्देश देगा।
- (ख) यार्ड के अनुमुख छोर पर कार्यरत **पूर्व केबिन** का केबिनमैन यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसके अधिकार क्षेत्र में लाइन साफ एवं बाधा रहित है उपयुक्त स्लाट लीवर खीचेगा तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर को गोपनीय संख्या द्वारा अनुपोषित सूचना देगा। **पश्चिम केबिन** में कार्यरत केबिनमैन वांछित मार्ग को सेट एवं लाक करने के पश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर को गोपनीय संख्या के साथ सूचित करेगा।
- (ग) कार्यरत स्टेशन मास्टर दोनों छोरों के केबिन मैनों से नामित मार्ग की सही सेटिंग एवं लाकिंग की पुष्टि के प्रमाण में गोपनीय संख्या प्राप्त हो जाने के पश्चात सीजर कांटो को वांछित स्थिति में सेट कराने के पश्चात सीजर क्रास ओवर नियन्त्रण सम्बन्धित स्लाइड को खीचेगा तत्पश्चात होम सिगनल स्लाइड तथा लाइन स्लाइड को खीचेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/23

कासगंज जं०

- (घ) लाइन स्लाइड तथा होम सिगनल स्लाइड के खींचे जाने से सम्मुख छोर के केबिन के चित्र आरेख में सम्बन्धित सिगनल पर एक सफेद प्रकाश के रूप में संकेत प्रदर्शित होगा। जो कि सम्मुख छोर के केबिनमैन को होम सिगनल को आफ करने के लिए प्राधिकृत करता है। कार्यरत केबिनमैन केबिन से परिचालित गेट संख्या 250/सी को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं लाक करने के पश्चात होम सिगनल को आफ करें।
- (ङ) जब गाडी सिगनलो को पार कर जाये सम्मुख छोर पर कार्यरत केबिनमैन द्वारा सम्बन्धित सिगनलों को आन कर दिया जाये।
- (च) वांछित लाइन पर गाडी का पूर्णतः रूक जाना सुनिश्चित करने के पश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा होम सिगनल स्लाइड तथा लाइन स्लाइड को सामान्य स्थिति में कर दिया जाये।
- (छ) अनुमुख छोर पर कार्यरत केबिनमैन सत्यापन करने के उपरान्त कि गाडी उचित लाइन पर आ गई है स्लाट लीवर को सामान्य स्थिति में वापस कर देगा।
- (ज) गाडी आगमन के लिये सेट किये गये कांटों को गाडी के सम्पूर्ण आ जाने के पश्चात् उनको सामान्य स्थिति में कर दिया जाये।

6.1. गाडी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य –

गाडी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, फाटकवाला एवं काँटावाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 प्रत्येक पारी में गाडी संचालन कर्मचारी

दिन की पारी		
स्टेशन अधीक्षक	01	पर्यवेक्षकीय
स्टेशन मास्टर	01	बहिरंग निर्धारित रोस्टर में।
	01	अन्तरंग निर्धारित रोस्टर में।
स्टेमा० पैनल	01	निर्धारित रोस्टर में।
काँटा वाला	05	निर्धारित रोस्टर में।
फाटकवाला	02	निर्धारित रोस्टर में।
पोर्टर	01	निर्धारित रोस्टर में।
शंटीग मास्टर	01	निर्धारित रोस्टर में।
केबिनमैन	02	निर्धारित रोस्टर में।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

सांध्य पाली / रात्रि पाली		
स्टेशन मास्टर	02	बहिरंग निर्धारित रोस्टर में।
	02	अन्तरंग निर्धारित रोस्टर में।
स्टेमा० पैनल	02	निर्धारित रोस्टर में।
कांटा वाला	10	निर्धारित रोस्टर में।
फाटकवाला	02	निर्धारित रोस्टर में।
पोर्टर	02	निर्धारित रोस्टर में।
शंटिंग मास्टर	02	निर्धारित रोस्टर में।
केबिनमैन	04	निर्धारित रोस्टर में।

6.1.2 लाइनों के क्लियरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र

बडी लाइन	कार्यरत स्टेशन मास्टर पैनल गाडी के आगमन / प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना पैनल पर उपलब्ध क्लीयरेंस इन्डिकेशन देखकर सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। (सामान्य नियम 3.38(ग), 3.40(3) देखें)
छोटी लाइन –	
कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर	अप प्रस्थान सिगनलों तथा डाउन शन्ट सिगनलों के मध्य का भाग ।
कार्यरत पूर्व केबिनमैन	डाउन शंट सिगनल से काटा संख्या 28एक्स के मध्य लाइन का भाग ।
कार्यरत पश्चिम केबिनमैन	कासगंज सिटी छोर की ओर अप प्रस्थान सिगनल तथा एडवान्स स्टार्टर सिगनल के मध्य का भाग ।
(साधारण नियम 3.38 (ग), 3.40 (3) (a) देखें)	

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारी का आश्वासन –

वे सभी कर्मचारी जो किसी प्रकार भी गाडी संचालन से सम्बद्ध हो अपना कार्यभार स्वतंत्र रूप से ग्रहण करने से पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 दिन या अधिक दिन गाडी संचालन से असम्बद्ध रहे हो अपना कार्य भार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से देंगे।

(विशेष रूप से सहायक नियम 5.01(19) देखें)

(अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/23

कासगंज जं०

6.2 लाइन क्लीयर देने की शर्तें –

(i) बी०जी०–

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि –

- (क) सम्पूर्ण आन्तिम पूर्ववर्ती गाडी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाडी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) लाइन स्टेशन पर प्रत्याशित गाडी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।
- (घ) अप गाडी के मामले में समपार संख्या 248ए/बी, 248/सी के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो। [विशेष रूप से सामा० एवं सहा० नि० 8.03 (2) (क) (ख) (ग) तथा सहायक नियम 8.03 (I,II,III) देखें]

(i) एम०जी०–

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि –

- (क) सम्पूर्ण आन्तिम पूर्ववर्ती गाडी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाडी के पीछे वाले होम तथा आउटर सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) लाइन स्टेशन पर प्रत्याशित गाडी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।
- (घ) डाउन गाडी के मामले में समपार संख्या 318/ए, 317/सी तथा 316/सी के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो। [विशेष रूप से सामा० एवं सहा० नि० 8.03 (2) (क) (ख) (ग) तथा सहायक नियम 8.03 (I,II,III & IV) देखें]

नोट— बी०जी० में लाइन क्लीयर लेने वाला स्टेशन मास्टर टोकेनलेस ब्लाक यन्त्र को टी०जी०टी० स्थिति में करने से पूर्व सम्बन्धित स्टेशन मास्टर से लाइन क्लीयर का प्राइवेट नम्बर प्राप्त करेगा तथा इसको टी०एस०आर० पर रिकार्ड करेगा।

6.2.1. गाडी के स्टेशन पर आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें – – कुछ नहीं –

(अजय वर्मा)
वरि० मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
वरि० मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध कांटों को अन्य लाइन के लिये सेट करना –

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुलड लोड अथवा क्रसिंग/प्रीसीडेन्स के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के कांटे अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जाये।

[सामान्य एवं सहायक नियम 5.19(1) से (5) तक को देखें]

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाडी का आगमन –

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाडी को रिसीव करना हो तो सामान्य नियम 5.09 (1) (a)(b)(c), (2)(c), (3) (a)(b)(i) (1) (a)(b)(c) के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करे।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाडी का आगमन –

बी०जी० में कोई ऐसी अपरिचालित लाइन संख्या 17 व 18 यदि रिक्त हैं पर उनके सी०एस०आर० को ध्यान में रखते हुए आगमन के लिये सामान्य तथा सहायक नियम 5.10 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करे।

एम०जी० में अपरिचालित लाइन संख्या 10 व 19 यदि रिक्त है, पर उनके सी०एस०आर० का ध्यान रखते हुए आगमन के लिये सामान्य तथा सहायक नियम 5.10 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करे।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाडी का प्रस्थान –

बी०जी० में अपरिचालित लाइन संख्या 17 व 18 से प्रस्थान के लिये सामान्य तथा सहायक नियम 5.11 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रस्थान किया जा सकता है।

एम०जी० में अपरिचालित लाइन संख्या 9, 10 एवं 19 द्वारा प्रस्थान के लिये सामान्य तथा सहायक नियम 5.11 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करे।

6.2.1.5 कामन प्रस्थान सिगनल वाली लाइन से गाडी प्रस्थान करना –

इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

सामान्य एवं सहायक नियमों का संदर्भ देते हुये अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना – – कोई नहीं –

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

6.3 आगमन सिगनल को आफ करने की शर्तें –**बी०जी० –**

- (क) परिचालित लाइन जिस पर गाडी का आगमन किया जाना है, साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध है।
- (ख) गाडी संचालन को प्रभावित करने वाले सभी सम्मुख कॉटे वांछित लाइन के लिये सेट एवं पाशित है।
- (ग) लाइन जिस पर गाडी लेनी है डैड इण्ड तक अथवा सम्मुख कॉटे के आगे गाडी के सम्मुख पडने वाले अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ हो।
- (घ) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर सम्बन्धित लाइन का क्लीयर संकेत उपलब्ध है।
- (ङ) सुनिश्चित करें कि **अप** गाडी के लाइन संख्या 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 पर आगमन के लिए गेट संख्या **249 व 310** को बन्द एवं लाक कर गेट नियंत्रण बटन **553** तथा **552** को एवं **डाउन** गाडी के लाइन संख्या 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 पर आगमन के लिए गेट संख्या **250** को बन्द एवं लाक कर गेट नियंत्रण बटन **551** को लाकड स्थिति में दबा दिया है। इससे पैनल पर इन्डीकेशन दिखाई देगा।

एम०जी० –

- (क) सभी सम्मुख काटें जिस पर से गाडी गुजरेगी, सही ढंग से सेट एवं लाक है।
- (ख) सभी अनुमुख काटें जिन पर से गाडी गुजरेगी सही सेट है।
- (ग) लाइन जिस पर गाडी ली जानी है, सभी बाधाओं से रहित है और अनुमुख काटों के आगे पर्याप्त दूरी तक साफ है।
- (घ) सुनिश्चित करें कि डाउन गाडियों को लाइन संख्या 1, 2 एवं 11 पर आगमन के लिए गेट संख्या **250** को बन्द एवं लाक कर दिया गया है।

नोट :-लाइन संख्या 1 अथवा 2 पर एम०जी० गाडी के आगमन के लिए होम सिगनल आफ करने से पूर्व स्टेशन मास्टर (आउट डोर) सीजर क्रास ओवर को वांछित स्थिति में सेट एवं लाक कराने के लिए जिम्मेदार हैं।

6.3.1 'आफ' किये गये सिगनलों को पुनः आन करने के लिये स्टेशन मास्टर का दायित्व किसी गाडी के संपूर्ण आगमन के बाद सभी संबंधित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाये। सहायक नियम 3.38 (iv) देखें।

6.4 गाडियों का एक साथ आगमन/प्रस्थान, गाडियों की क्रासिंग तथा गाडियों को प्राथमिकता देना

- (1) यह स्टेशन के **छोटी लाइन** की गाडियों के लिये टर्मिनल स्टेशन है। **बडी लाइन** की गाडियों के एक साथ प्रवेश/प्रस्थान की अनुमति निम्न प्रकार है –

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (क) अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन ।
और
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 या 4 या 5 पर आगमन ।
या
अप ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 से प्रस्थान ।
- (ख) अप ट्रेन का लाइन संख्या 2 पर आगमन ।
और
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 3 या 4 या 5 पर आगमन ।
या
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 3 या 4 या 5 या 6 से प्रस्थान ।
- (ग) अप ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन ।
और
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 या 4 या 5 पर आगमन ।
या
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 या 4 या 5 या 6 से प्रस्थान ।
- (घ) अप ट्रेन का लाइन संख्या 4 पर आगमन ।
और
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 या 5 पर आगमन ।
या
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 या 5 या 6 से प्रस्थान ।
- (ङ) अप ट्रेन का लाइन संख्या 5 पर आगमन ।
और
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 या 3 या 4 पर आगमन ।
या
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 या 4 या 6 से प्रस्थान ।
- (च) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन ।
और
अप ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 या 4 या 5 पर आगमन ।
या
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 से प्रस्थान ।
- (छ) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 2 पर आगमन ।
और
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 3 या 4 या 5 पर आगमन ।
या
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 3 या 4 या 5 या 6 से प्रस्थान ।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(ज) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन ।

और

अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 या 5 पर आगमन ।

या

डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 या 5 या 6 से प्रस्थान ।

(झ) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 4 पर आगमन ।

और

अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 या 5 पर आगमन ।

या

डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 या 5 या 6 से प्रस्थान ।

(ञ) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 5 पर आगमन ।

और

अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 या 3 या 4 या 6 पर आगमन ।

या

डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 या 3 या 4 या 6 से प्रस्थान ।

(2) इस स्टेशन पर सवारी गाडियों के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके कासिंग प्राधिकृत है। (सहायक नियम 5.01 (14) देखें)

6.5 गाडियों का पूर्ण आगमन –

(क) एम०जी० गाडियों का सम्पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के लिये पश्चिम केबिन पर कार्यरत केबिनमैन गाडी के अन्तिम वाहन में लगे एल०वी० बोर्ड/पलैशर टेल लैम्प को देख कर कार्यरत स्टेशन मास्टर (मेन) इस सूचना को प्राइवेट नम्बर द्वारा अनुपोषित सूचना देगा । यदि गाडी अपूर्ण आती है तो वह कार्यरत स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना देगा तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर (मेन) इस सूचना को प्राइवेट नम्बर देकर एकनालेज करेगा तभी केबिन मैन होम व आउटर सिगनल को नार्मल स्थिति में कर देगा । तब कार्यरत स्टेशन मास्टर ट्रेन इन्टेक्ट रजिस्टर पुस्तिका पर उस गाडी के गार्ड से गाडी के सम्पूर्ण आगमन का प्रमाण पत्र लिखवायेगा ।

(ख) बी०जी० अप गाडियों की सम्पूर्ण आगमन की जिम्मेदारी पूर्व केबिन पर कार्यरत केबिनमैन की है अप गाडी के अन्तिम वाहन पर लगे एल०वी० बोर्ड/पलैशर टेल लैम्प को देख कर कार्यरत स्टेशन मास्टर (पैनल) को प्राइवेट नम्बर के साथ सूचना देगा । बी०जी० डाउन गाडियों के सम्पूर्ण आगमन को पश्चिम केबिन पर कार्यरत केबिनमैन गाडियों के अन्तिम वाहन के पीछे लगे एल०वी० बोर्ड/पलैशर टेल लैम्प को देखकर सुनिश्चित करेगा तथा प्राइवेट नम्बर के साथ स्टेशन मास्टर पैनल को सूचित करेगा तभी स्टेशन मास्टर पैनल लाइन क्लोज करेगा किन्तु गाडी अपूर्ण आने की स्थिति में पूर्व/पश्चिम केबिन पर कार्यरत केबिनमैन इसकी सूचना स्टेशन मास्टर/पैनल तथा स्टेशन मास्टर (मेन) को देगा जो कि प्राइवेट संख्या के साथ इस सूचना को एकनालेज करेंगे। स्टेशन मास्टर (मेन) गाडी के गार्ड से टी/1410 पर सम्पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा तथा वह स्टेशन मास्टर पैनल को प्राइवेट नम्बर के साथ सूचित करेगा और तभी स्टेशन मास्टर पैनल लाइन क्लोज करेगा ।

(विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/23

कासगंज जं०.

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान –

- 1)(I) जब **बी०जी०** गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि—
- (क) अगले ब्लाक स्टेशन **बधारीकलॉ व मारहरा** से टोकनलेस ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें। **डाउन गाड़ियों** के मामले में समपार संख्या **249** एवं **310ए** को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द कराने के लिए दोनो ओर के कार्यरत केबिनमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट के अनुसार सूचित करें एवं गेट नियंत्रण बटन **553** एवं **552** लाकड स्थित में दबाये जिससे फाटक संख्या **249** व **310ए** के बन्द होने के संकेत पैनल पर दिखाई देगें तथा इंजी० समपार **248ए/बी, 248/सी** के गेटमैन को गेट परिशिष्ट में दिये गये निदेशों के अनुरूप सूचित कर दिया गया है।
- अप गाड़ियों** के मामले में समपार संख्या **250** को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द कराने के लिए पूर्व केबिन पर कार्यरत केबिनमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट के अनुसार सूचित करें एवं गेट नियंत्रण बटन **551** को लाकड स्थिति में दबाये जिससे समपार संख्या **250** के बन्द होने के संकेत पैनल पर दिखाई देगा।
- (ख) जाँचें कि अभिधारिता भाग के रेल पथ परिपथों के लिये रेल पथ अभिधारिता बत्तियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है
- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाभी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- (ध) जानेवाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न **परिशिष्ट 'ख' के पैरा 11** के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- (च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- (छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियाँ जल जायेगी।
- (ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट सफेद लघु बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनलों के आफ होने का सूचक है। इसके पश्चात् स्टेशन मास्टर मेन गाड़ी के गार्ड को वाकी टाकी पर गाड़ी चलाने की अनुमति देगा।
- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि गाड़ी जिन जिन ट्रैक सर्किट पर जाती है वैसे वैसे उन ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल "आन" हो जाते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर से जल जाती हैं।

(अजय वर्मा)

वरि०मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)

वरि० मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

- (ट) गाड़ी का पूर्ण रूप से एडवांस स्टार्टर को पार कर जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
- (ठ) रेलपथ परिपथ की विफलता अथवा रेल पथ परिपथ बल्बों के फ्यूज होने पर परिचालित लाइनों का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा
- (II) एम०जी० गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि -
- (क) अगले ब्लॉक स्टेशन **कासगंज सिटी** से ब्लॉक यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें। **अप गाड़ियों** के मामले में समपार संख्या **316, 317** एवं **318** के गेटमैनों को सम्बन्धित गेट परिशिष्टों में दिये गये निदेशों के अनुरूप सूचित करेंगे।
- (ख) इन डोर सहायक स्टेशन मास्टर **पश्चिम केबिन** पर कार्यरत केबिनमैन को जाने वाली गाड़ी के प्रस्थान हेतु उसे लाइन संख्या तथा गाड़ी का विवरण बताता हुआ मार्ग सेट करने के लिए गोपनीय संख्या द्वारा अनुदेश देगा और तब उस लाइन विशेष जिससे गाड़ी जायेगी, की लाइन स्लाइड तथा अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल की स्लाइड खींच कर संकेत देगा।
- (ग) जाँचें कि अभिधारिता भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित रेल पथ परिपथों के लिये रेल पथ अभिधारिता बत्तियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।
- (घ) जाने वाली गाड़ी के लिये **पश्चिम केबिन** पर कार्यरत केबिनमैन मार्ग सेट करेगा तथा प्रस्थान एवं अग्रिम प्रस्थान सिगनल आफ करेगा तथा स्टेशन मास्टर (इन्डोर) को प्राइवेट संख्या के साथ सूचित करेगा।
- (च) आउट डोर सहायक स्टेशन मास्टर स्वयं को सन्तुष्ट करने के बाद कि जाने वाली गाड़ी के लिए रास्ता सही सेट एवं पाशित है तथा प्रस्थान सिगनल आफ स्थिति में है तब चालक को गाड़ी चलाने के लिये प्रस्थान प्राधिकार देने की व्यवस्था करेगा तथा गाड़ी के गार्ड को गाड़ी चलाने की अनुमति देगा।
- (छ) जब गाड़ी अग्रिम प्रस्थान सिगनल को पार कर जाये तो **पश्चिम केबिन** पर कार्यरत केबिनमैन अग्रिम प्रस्थान सिगनल लीवर को पुनः नार्मल करें स्टेशन मास्टर मेन को रूट तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल स्लाइड को वापस करने हेतु सूचित करें। प्रस्थान के लिये सेट किये गये कांटो को सम्पूर्ण गाड़ी गुजर जाने के बाद पुनः उनकी सामान्य स्थिति में सेट कर दिया जाये।
- नोट :-लाइन संख्या 1 अथवा 2 (Short of scissor cross over) से एम०जी० गाड़ी के प्रस्थान के लिए लाइन सं० 1 अथवा 2 के प्रस्थान सिगनल आफ करने से पूर्व स्टेशन मास्टर (आउट डोर) सीजर कास ओवर को वांछित स्थिति में सेट एवं लाक कराने के लिए जिम्मेदार हैं।**

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/23

कासगंज जं०

2) प्रस्थान सिगनल 'आफ' करने की शर्तें

बी०जी० –

- (क) उस ब्लाक स्टेशन से जिसे गाडी को भेजनी है, लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो।
- (ख) प्रस्थान हेतु मार्ग सेट एवं पाशित कर दिया गया हो।
- (ग) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर सम्बन्धित लाइन साफ संकेत उपलब्ध है।
- (घ) **डाउन गाडी** के मामले में प्रस्थान के लिए गेट संख्या **310ए** एवं **249** सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है, सुनिश्चित करके गेट नियंत्रण बटन **552** एवं **553** लाकड स्थिति में दबा दिया गया है जिससे फाटक संख्या **310ए** एवं **249** के बन्द होने के संकेत पैनल पर दिखायी देना चाहिये तथा इंजी० समपार **248ए/बी** एवं **248/सी** के गेटमैन को गेट परिशिष्ट में दिये गये के निदेशों के अनुरूप सूचित कर देना चाहिये। **अप गाडी** के लिये समपार संख्या 250 को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक कराकर गेट नियंत्रण बटन 551 को लाकड स्थिति में दबा दिया गया है तथा लाकड संकेत पैनल पर उपलब्ध है।

एम०जी० –

- (क) अगले ब्लाक स्टेशन **कासगंज सिटी** से लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो।
- (ख) प्रस्थान हेतु मार्ग सेट एवं पाशित कर दिया गया हो।
- (ग) **अप गाडी** के लिये समपार संख्या **250** को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक कर दिया गया है।
- (घ) कासगंज – कासगंज सिटी के मध्य स्थित इंजी० समपार सं० 316/सी, 317/सी व 318/ए पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट के अनुसार सूचित कर दिया गया हो।

नोट –केबिन से गाडी गुजरते समय कार्यरत केबिनमैन / स्टेशन मास्टर पैनल प्रोसीड सिगनल नहीं दिखायेगा बल्कि गाडी की सतत् निगरानी करेगा तथा असुरक्षित स्थिति होने पर लाल संकेत दिखाकर गाडी को रोकेगा।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना –

सभी गाडियों के लिये यह स्टेशन सतर्कता आदेश जारी करने के लिये नोटिस स्टेशन है। अतः सतर्कता आदेश कोई नहीं होने की स्थिति अथवा जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाडी जिस गति से चलेगी उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पडने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, ड्राइवर को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा।

(विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 4.09 देखे।)

(अजय वर्मा)

(जवाहर राम)

वरि०मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

वरि० मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

6.7 गाड़ियों का बिना रूके सीधे जाना (रन थ्रू) –

गाड़ियों का बिना रूके जाने की अनुमति नहीं है ।

6.8 विफलता के दौरान कार्य पद्धति –

(क) कॉटों एवं सिगनलो के विफल हो जाने की दशा में, सामान्य एवं सहायक नियम 3.69 (3), 3.70 (1)(3), 3.68 (1)(ग) सहायक नियम 3.39 (ii) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख कॉटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राइवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करे। ब्लाक यंत्र विफल हो जाने पर सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (I) (II) तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन सामान्य एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा। स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य एवं सहायक नियम 3.49 (2)(बी) के अनुपालन में स्टेशन के समस्त बीजी सिगनल कलर लाइट होने के कारण दिन एवं रात अनवरत प्रकाशित रखें। स्टेशन मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनल को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.72 तक में वर्णित कार्यविधि का अनुपालन सुनिश्चित करें। (परिशिष्ट "ख" का पैरा 7 देखें)

(ख) मारहरा छोर पर बी०जी० के कांटों एवं सिगनलों की विफलता की सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर पैनल, स्टेशन मास्टर मेन (आउटडोर) को देगा और ऐसी स्थिति में कांटों की सही सेटिंग एवं लाकिंग कराने तथा गाड़ियों को टी-369 (3बी) जारी करने की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर मेन (आउटडोर) की है। कार्यरत स्टेशन मास्टर पैनल की सूचना पर स्टेशन मास्टर मेन (आउटडोर) लोकेशन बाक्स की चाभी जो उसके पास रहती है, से लोकेशन खोल कर कार्यरत स्टेशन मास्टर पैनल से सम्बन्धित क्रैन्क हैण्डिल चाभी रिलीज करायेगा तथा सम्बन्धित कांटों को सेट व लॉक कराने के उपरान्त ही टी-369 (3बी) जारी करेगा ।

6.9 ट्रालियों/मोटर ट्रालियों/सामग्री लारियों की कार्यप्रणाली –

(क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लिये लागू पूर्ण ब्लाक पद्धति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा।

(ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली को अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलों को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा गाडी के पीछ आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलों को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है। टोकेनलेस प्रखण्ड पर मोटर ट्राली संचालन के लिये निर्धारित प्रपत्र पर प्राधिकार जारी करना सुनिश्चित करें।

(सामान्य एवं सहायक नियम 15.21 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।)

- (घ) टोकेनलेस प्रखण्ड में मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को आफ नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपारों को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान अवश्य किया जाय।

7. लाइन अवरुद्ध होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरुद्ध हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरुद्ध की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरुद्ध हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।
2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सैट करेगा।
3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरुद्ध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

7.1 स्टेबुल वाहनो / वैगनो / लोड का सिक्योरिंग:-

जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरुद्ध की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनो के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बाँध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।

- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेंगे। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।
- (ii) नये प्रकार के बोगी रेकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खड़ा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। वाहन/वाहनो/लोड का सिक्योरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्योरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय,तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।

टिप्पणी :

- 1 बी०ओ०एक्स०, बी०ओ०बी०एस०, बी०ओ०आई०, बी०आर०एच० तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-
 - (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
 - (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
 - (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
 - (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये।
- साधारण एवं सहायक 5.23 में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

8. शंटिंग –

शंटिंग संबंधी नियमों के संदर्भ हेतु सामान्य एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14, एवं 8.15 देखे।

बी०जी० –**8.1 ब्लाक खण्ड साफ होने पर शंटिंग (आगमन अनुमति देने से पूर्व)**

(क) प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शंटिंग की अनुमति है –

- (I) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।
- (II) संबंधित होम सिगनल तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल आन स्थिति में हो।
- (III) जिस ब्लाक खण्ड में शंटिंग की जानी है वह आने वाली गाडी से खाली हो।
- (IV) चालक को शंटिंग अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शंटिंग करने हेतु टी/806 के साथ शंटिंग चाबी भी दी जाये।

(ख) प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शंटिंग –

निम्नलिखित शर्तों के साथ शंटिंग की अनुमति है –

- (I) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।
- (II) संबंधित सिगनल आन स्थिति में हों।
- (III) संबंधित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
- (IV) चालक को शंटिंग आदेश टी-806 के साथ शंटिंग चाबी भी दी जाये।

(ग) आती हुयी गाडी की दिशा में शंटिंग (आगमन अनुमति देने के बाद)

(क) सम्बंधित होम तथा अग्रिम प्रस्थान संकेतकों को आन स्थिति में रखते हुये वाहयतम सम्मुख कॉटो तक शंटिंग की अनुमति है।

(ख) वाहयतम सम्मुख कॉटों के बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शंटिंग करने की अनुमति है।

- (I) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।
- (II) होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हो।
- (III) संबंधित होम सिगनल तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में हो, तथा
- (IV) गाडी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शंटिंग बन्द कर दी जाये।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(घ) जाती हुयी गाडी के पीछे शंटिंग

प्रथम रोक सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शंटिंग की अनुमति है –

- (I) जाती हुयी गाडी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो।
- (II) सभी संबंधित सिगनल आन स्थिति में हो।
- (III) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।
- (IV) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम सिगनल तक शंटिंग करने की लिखित अनुमति टी/806 पर दी जाये।

एम०जी० -**8.1 ब्लाक खण्ड साफ होने पर शंटिंग (आगमन अनुमति देने से पूर्व)**

(क) प्रथम रोक सिगनल (आउटर) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शंटिंग की अनुमति है –

- (I) स्टेशन मास्टर नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।
- (II) संबंधित सिगनल आन स्थिति में हो।
- (III) जिस ब्लाक खण्ड में शंटिंग की जानी है वह आने वाली गाडी से खाली हो।
- (IV) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल आन स्थिति में पार करने एवं आउटर सिगनल तक शंटिंग करने हेतु लिखित अनुमति दी जाये।

(ख) प्रथम रोक सिगनल (आउटर) के बाहर शंटिंग –

निम्नलिखित शर्तों के साथ शंटिंग की अनुमति है –

- (I) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो
- (II) संबंधित सिगनल आन स्थिति में हों
- (III) संबंधित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
- (IV) चालक को शंटिंग आदेश टी-806 देने के साथ-साथ टोकेन भी दिया जाये।

(ग) आती हुयी गाडी की दिशा में शंटिंग (आगमन अनुमति देने के बाद)

(1) होम सिगनल के अन्दर शंटिंग –

- (I) संबंधित सिगनल 'आन' स्थिति में हो,
- (II) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(2) अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक शंटिंग –

निम्नलिखित शर्तों के साथ शंटिंग की अनुमति है –

- (I) सभी संबंधित सिगनल आन स्थिति में हो।
 - (II) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।
 - (III) दृश्यता स्पष्ट हो।
 - (IV) गाड़ी आने के समीपवर्तित समय के 10 मिनट पूर्व ऐसी शंटिंग बन्द कर दी जाये।
- (3) **आउटर सिगनल तक शंटिंग –** चूँकि आउटर सिगनल स्टेशन मास्टर को दृष्टिगत नहीं है अतः आती हुई गाड़ी की दिशा में अग्रिम प्रस्थान सिगनल से आगे शंटिंग की अनुमति नहीं है।

(घ) जाती हुयी गाड़ी के पीछे शंटिंग –

प्रथम रोक सिगनल (आउटर) तक निम्नलिखित शर्तों के साथ शंटिंग की अनुमति है –

- (I) जाती हुयी गाड़ी आउटर सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा अपनी यात्रा जारी रखे हो।
- (II) सभी सम्बन्धित सिगनल आन स्थिति में हो।
- (III) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।
- (IV) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल आन स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराने हेतु लिखित आदेश टी-806 दिया जाये।

8.2 शंटिंग पर प्रतिबन्ध –सामान्य नियम 8.13 एवं 8.10 (2) देखें।

8.3 शंटिंग का कोई विशेष पहलू – बधारीकला छोर की ओर शंटिंग करते समय पूर्व केबिन से परिचालित समपार संख्या 310 स्पेशल एवं 249ए/सी तथा मारहरा व कासगंज सिटी की ओर शंटिंग करते समय पश्चिम केबिन से परिचालित समपार संख्या 250/बी का बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित किया जाये। बी0जी0 रैक हैण्डलिंग साइडिंग में/से एवं पिट लाइन में/से लोड प्लेसमेंट/विज्ञाल करते समय कार्यरत शंटिंग मास्टर नान इन्टरलाक समपार 309/सी को बन्द एवं लाक कराना सुनिश्चित करें।

8.4 दोहरी लाइन पर शंटिंग – नहीं है।**8.5 स्टेशन यार्ड/माल यार्ड से निकलने वाली साइडिंग में शंटिंग –**

स्टेशन यार्ड से बी0जी0 रैक हैण्डलिंग साइडिंग में जाने/ आने के लिये कांटों एवं सिगनलों का परिचालन परिशिष्ट "बी" के पैरा 11 में वर्णित कार्यविधि के अनुसार की जायेगी।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

9 असामान्य परिस्थितियों –

(क) 1. असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया:

- (I) ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन अथवा बी0एस0एन0एल फोन अथवा बी0एच0एफ0 सेट द्वारा ही दिया जाना चाहिये। (विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 14.13 से 14.25 तथा सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट 'घ' देखें)
- (II) ब्लाक टेलीफोन अथवा बी0एस0एन0एल0 फोन अथवा वी0एच0एफ0 सेट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की संभावना रहती है।
2. (अ) नियंत्रक कि माध्यम से अथवा बी0एस0एन0एल0 फोन से लाइन क्लीयर मागने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है अपने स्टेशन जहां से लाइन क्लीयर मांगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मागने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा।

2. (ब) वीएचएफ सेट द्वारा लाइन क्लीयर लेना/देना –

- वीएचएफ सेट द्वारा लाइन क्लीयर लेने/देने के समय निम्न निर्देशों का पालन अवश्य किया जायेगा।
- 1) वीएचएफ सेट द्वारा लाइन क्लीयर माँगने वाला स्टेशन मास्टर पिछली तीन गाड़ियों का विवरण साथ में लाइन क्लीयर लेने नम्बर तथा ब्लाक खण्ड अवरूद्ध एवं साफ होने का समय लिखा जाये।
- 2) लाइन क्लीयर तभी दिया/लिया जाये जब वीएचएफ सेट की आवाज साफ हो। वीएचएफ सेट का प्रयोग न किया जाये यदि आवाज में इन्डेक्शन हो, डिस्परबेन्स हो, या कम आवाज सुनाई पड रही हो।
- 3) जब वीएचएफ सेट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह है तो वीएचएफ सेट का प्रयोग बन्द कर देना चाहिये। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी हैं।
- 4) वीएचएफ सेट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीयर लिया जा सकता है। तत्पश्चात् लाइन क्लीयर केवल खण्ड के यातयात निरीक्षक या सुपरवाइजरी एसएम या सुपरवाइजरी स्टेमा0 की उपस्थिति में लाइन क्लीयर लिया/दिया जाये।

(अतुल सिंह)

(के0एस0सोनाल)

मण्डल सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2. (स) लाइन या किसी गाडी की दुर्घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में यह किसी आपात स्थिति में स्टेशनों के मध्य गाडियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा।

(विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)

3. यदि कोई मोटर चालित कॉटा अनुमुखित चीरते हुये (ट्रेल थ्रू) पार किया गया हो या विद्युत मशीन द्वारा प्रचालित किसी कॉटे पर फेसिंग/ट्रेलिंग दिशा में कोई सिगनल रहित संचालन हुआ हो, तो जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर उक्त कॉटे को नार्मल एवं रिवर्स स्थितियों में सेट करेगा तथा सेटिंग का ठीक-ठीक संकेत पैनल पर मिलने पर ही उक्त कॉटों पर अगले संचालन की अनुमति देगा। ऐसे परिष्करणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी में अंकित किया जाना चाहिये।

- (ख) क्रैन्क हैण्डल द्वारा कॉटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्यविधि –

संचालन नियम के पैरा 4.1.5 तथा परिशिष्ट 'ख' के पैरा 7 तथा 7.3 के अनुसार कार्य किया जायेगा।

- (ग) कॉटों, ट्रेक सर्किट/एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना

संकेतन परिशिष्ट 'ख' का पैरा 16 को देखें।

- 9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता

संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है –

सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे –

- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रेक सर्किट या एक्सल काउन्टर।
(ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,
(ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन यदि उपलब्ध है।
(घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे आटो फोन एवं बी0एस0एन0एल0 फोन।
(ङ.) नियंत्रण दूरभाष,
(च) वी0एच0एफ0 सेट।

2. इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरूद्ध हो जाने पर गाडी संचालन

किसी ब्लाक खण्ड में गाडी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये –

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा ।
(ख) गाडी के इंजन द्वारा।

(अतुल सिंह)

(के0एस0सोनाल)

मण्डल सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

(घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

टिप्पणी – संचार खोलने के लिये पूरी गाडी नहीं भेजनी चाहिये।

संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी –

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/बी 602 इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार सौपा जायेगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा –	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को टेक आफ करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को टेक आफ करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369 (3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुये अन्दर आने देगा। अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई 602 प्राप्त करेगा।
क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	शंटिंग लिमिट बोर्ड को पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमें प्रतीक्षारत गाडी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम संशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें इंजन के खाली या किस गाडी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाडी मे लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो।	

(अतुल सिंह)

(के0एस0सोनाल)

मण्डल सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2.	यदि प्रेषक स्टेशन की ओर से गाडियों का	2. इंजन या स्वानोदित वाहन को लौटने
----	---------------------------------------	------------------------------------

<p>फलो अधिक हो तो प्रतीक्षारत गाडी के पीछे जाने वाली गाडियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी/ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा।</p>	<p>के लिये दिशा के अनुसार सशर्त लाइन क्लीयर टिकट टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाडी गाडियों के लिये सशर्त लाइन क्लीयर संदेश प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाडियों के लिये लाइन क्लीयर इन्क्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के शंटिंग लिमिट बोर्ड को पार करने के लिये टी 369 (3 बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेगे।</p>
--	--

टिप्पणी –

(क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक सबसे बाहर के सम्मुख कॉटे के आगे लाइन को अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।

(ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाडियाँ चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाडियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाडियों के चालकों को दिशा के अनुसार सशर्त लाइन क्लीयर टिकट प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाडी और पीछे जाने वाली गाडियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

जब कोई गाडी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कडी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किमी० प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किमी० प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

4. सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियाँ –

(क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।

(ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाये कि सामान्य काम-काज शुरू होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीयर टिकट ले चुकी गाडी खण्ड पर न हो। ऐसे सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जो जारी किये जा चुके हो परन्तु उनके आधार पर गाडियाँ संचालित न हुयी हो को रद्द कर दिया जाना चाहिये।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

9.2 दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन कार्य पद्धति: – कुछ नहीं –

9.3 बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटना ग्रस्त गाडी के सहायतार्थ गाडियों का प्रस्थान

अवरोध की राही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक सेक्शन में राहत इन्जन/गाडी ले जाने के लिये प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौपेगा। (विशेष रूप से सहायक नियम 6.02, 6.08(i)(ii)(iii), 6.09 (ii)(iii) (1)(2)(3)देखे) ।

9.4 विद्युत शक्ति (पावर) क आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश –

कासगंज जं० स्टेशन पर सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई सिस्टम (आई०पी०एस०) का प्रावधान किया गया है। जिससे सभी सिगनल लगातार प्रकाशित रहेगे। उपर्युक्त आई०पी०एस० की मानीटरिंग के लिये सहायक स्टेशन मास्टर के पैनल कक्ष में आडियों बिजुवल आई०पी०एस० स्थित प्रकाशित बोर्ड लगाया गया है जिससे निम्न सूचनाये प्रदर्शित होंगी –

सामान्यतः छः हरी बत्ती, दो पीली, दो लाल बत्ती सदैव जलती रहती है। अन्य लाल बत्तियां बुझी रहती है।

छः हरी बत्ती (जेनरेटर स्टार्ट करने के लिये) आई० पी० एस की बैटरी का वोल्टेज 120 वोल्ट से कम होने पर जलती है, जो कि बैटरी बोल्टेज दो बोल्ट के अन्तराल में कम होने पर क्रमशः बुझती जाती है।

बैटरी बोल्टेज 110 वोल्ट से कम होने पर ऊपर से छठी हरी बत्ती बुझती है तथा बजर के साथ जनरेटर चलाने हेतु आलार्म बजता है। अतः इस स्थिति में जनरेटर चलाकर बैट्री चार्ज की जानी चाहिये।

जनरेटर न चलने की दशा में बैट्री वोल्टेज कम होने पर दोनो पीली बत्तियां बुझती है तथा आपातकालीन जनरेटर स्टार्ट अलार्म आता है एवं सिगनल व्यवस्था अकार्यशील हो जायेगी।

इस स्टेशन पर संपूर्ण सिगनल व्यवस्था सामान्यतया आई०पी०एस० से संचालित है। इस आपूर्ति की विफलता पर विफलता के कारणों को दूर कर संपूर्ण सिगनल व्यवस्था को सामान्य किया जा सकेगा।

- (अ) जनरेटर कक्ष में लगे चेन्जओवर स्विच "ए" जो सामान्य स्थिति में सदैव वाणिज्यिक विद्युत आपूर्ति (कामर्शियल पावर सप्लाई) की सरफ लगा रहेगा को जेनरेटर साइड में लगा देंगे।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (ब) इस स्टेशन पर दो जनरेटर क्रमशः जेनरेटर संख्या 1 एवं जनरेटर संख्या 2 लगे है। जेनरेटर कक्ष जेनरेटर चेन्जओवर स्विच (बी) लगा है जो सामान्यतः बीच में

रहता है। जेनरेटर को चालू करने के पश्चात सम्बन्धित स्विच को चालू हुये जनरेटर की तरफ लगा दिया जाये।

(स) सामान्यतया: स्टेशन मास्टर स्टैण्ड वाई जेनरेटर संख्या 1 को चालू करेगा। इसके विफल होने पर जनरेटर संख्या 2 को प्रयोग किया जायेगा।

(द) आईपीएस0 अधिक अवधि तक विफल रहने पर जेनरेटर संख्या 1 तथा 2 को लगभग 2-2 घंटे के अन्तराल में बदल-बदल कर चलाये।

जब कार्मशियल सप्लाई आ जाये तो स्विच "ए" को कर्मशियल साइड की तरफ बदल कर लगा दे और स्विच "बी" को मध्य स्थित में कर दे तथा जनरेटर को बंद कर दिया जाये।

जेनरेटर में डीजल आयल जब भरा जाये तो स्टेशन मास्टर आयल लाग बुक में इसका इंदराज तुरन्त करे। कार्यरत स्टेशन मास्टर भी डीजल जेनरेटर के उपयोग का इन्दराज लाग बुक में अवश्य करें।

कार्यरत स्टेशन मास्टर पावर सप्लाई की विफलता/उपलब्धता का इंदराज लाग बुक में निम्न प्रकार से करें -

क्रम संख्या	दिनांक	कार्मशियल पावर विफलता का समय घंटा एवं मिनट में	डी0जी0सेंट चलने का समय घंटा एवं मिनट में			डीजल आयल भरा गया मात्र लीटर में	हस्ताक्षर स्टेशन मास्टर
			चालू करने का समय	बंद करने का समय	चलने का समय		
1	2	3	4	5	6	7	8

डीजल जनरेटर की सर्विस ओवर हालिंग तथा मरम्मत इत्यादि का विवरण लाग बुक के रिमार्क कालम में इंदराज करे।

स्टेशन मास्टर के कर्तव्य -

आईपीएस0 मानीटरिंग पैनल पर आने वाले सूचकों पर विशेष ध्यान रखे एवं सूचक के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करे अन्यथा स्टेशन के सभी सिगनल बुझ जायेगे तथा रिले अकार्यशील भी हो जायेगे।

(अतुल सिंह)

(के0एस0सोनाल)

मण्डल सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

9 आईपीएस0 की विफलता पर अपनायी जाने वाली विधि:-

(अ) आईपीएस0 के फेल होने पर स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन को लाइन क्लीयर देने अथवा किसी अन्य गाडी का परिचालन करने से पहले यह भंली भांति

सुनिश्चित कर ले कि साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 के अनुसार गाडी लेने की व्यवस्था कर ली गयी है।

- (ब) यदि लाइन क्लियर देने के पश्चात पिछले स्टेशन से गाडी चल चुकी है तथा किसी कारणवश गाडी की दिशा में पडने वाले सिगनल की रोशनी बुझ चुकी है तो स्टेशन मास्टर किसी कर्मचारी को सिगनल के पास रोशनी बुझे हुये सिगनल के नीचे आने वाली गाडी के चालक को देने के लिये टी-369 (3बी) भेजेगा जो गाडी को नियमानुसार पायलट करके लायेगा।

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य -

- I) बधारीकलां छोर दिन व रात्रि में डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-17 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर से दिखायी देता हो।
- II) कासगंज सिटी दिन में प्रस्थान सिगनल संख्या 74 की भुजा तथा रात में / मारहरा छोर उसकी फेस लाइट जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर से दिखायी देता हो।

11. इस स्टेशन के आवश्यक उपकरण:- परिशिष्ट ड. देखें।

12. कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनलमैनों के नाम

कोहरे के समय फाग सिगनलमैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुये, स्टेशन पर अनुरक्षित फाग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी।

13. कार्यरत स्टेशन मास्टर एवं केबिनमैन के मध्य संचार विफलता की दशा में कार्य संचालन -

कार्यरत स्टेशन मास्टर एवं केबिनमैन के मध्य संचार विफलता की अवधि में स्टेशन मास्टर किसी सिगनल को झुकाने अथवा केबिन की ओर किसी संचालन की अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक कि वह केबिनमैन से मार्ग के सही सेट होने को स्टेशन पर अनुरक्षित निम्नलिखित प्रारूप में पंजिका में लिखित पावती प्राप्त कर ले।

(अतुल सिंह)

(के0एस0सोनाल)

मण्डल सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन मास्टर द्वारा भरा जाये

तिथि	गाडी संख्या	नियत लाइन संख्या	गोपनीय संख्या	केबिन को भेजने का समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
केबिनमैन द्वारा भरा जाये					
सेट की गयी लाइन	केबिनमैन का गोपनीय अंक	पंजिका स्टेशन वापस करने का समय	केबिनमैन के हस्ताक्षर		
7	8	9	10		

यह पंजिका स्टेशन के किसी कर्मचारी द्वारा केबिनमैन के पास भेजी जायेगी । केबिनमैन मार्ग को सही सेट करके तथा पाशित करके पंजिका में प्रविष्टि करके हस्ताक्षर करेगा तत्पश्चात स्टेशन मास्टर को लौटा देगा ।

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट	'क'	समपार फाटको का संचालन
परिशिष्ट	'ख'	सिगनल और अन्तर्पाशन की पद्धति
परिशिष्ट	'ग'	टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)
परिशिष्ट	'घ'	गाडी परिचालन कर्मचारियों के कर्त्तव्य
परिशिष्ट	'ङ'	स्टेशन के आवश्यक उपस्कर
परिशिष्ट	'च'	डी०के०, स्टेशन, हाल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम
परिशिष्ट	'छ'	विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

टिप्पणी – इन नियमों को किसी भी स्थिति में सामान्य एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढा जाये ।

(अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

1

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/23

कासगंज जं०

परिशिष्ट 'ध'

1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/अधीक्षक के कर्तव्य

- (क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है –
1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
 2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
 3. कर्मचारियों को अपने कार्यों से संबंधित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
 4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
 5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलों, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय, तथा नियम पुस्तकों, डायरियों गाडी रजिस्ट्रों एवं अन्य रजिस्ट्रों-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
 6. यार्ड और यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण।
 7. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
 8. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
 9. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव मार्ग और ढंग बताना।
- (ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।
- (ग) इस, स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेगा।
- (घ) मोटर चालित कौंटों की विफलता की स्थिति में स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर का कर्तव्य है कि वह सामान्य नियम 3.39 (ii) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित व्यक्तिगत रूप से करेगा।

(के0एस0सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/23

कासगंज जं०

परिशिष्ट 'ध'

2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत अन्तरंग (Indoor) सहायक स्टेशन मास्टर / पैनल सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य –

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर ओर गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से संबंधित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है –

1. यार्ड, कॉटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वांछित सभी की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करे। यह भी सुनिश्चित करे कि पर स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मर्दों का उल्लेख कर दिया गया है।
2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकार का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियंत्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
4. साधारण एवं सहायक नियम तथा स्टेशन कार्य प्रणाली के अनुसार सभी गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान सुनिश्चित करना।
5. सभी सिगनल प्रचालनों का नियंत्रण।
6. शन्टिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।
7. जाने वाली गाड़ियों के चालकों को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
8. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
9. गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
10. कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
11. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
12. मोटर चालित कॉटों की विफलता की स्थिति में स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर का कर्तव्य है कि वह सामान्य नियम 3.39 (ii) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित व्यक्तिगत रूप से करेगा।

3- सहायक स्टेशन मास्टर (Outdoor) के कर्तव्य –

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर ओर गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से संबंधित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है –

1. सुरक्षित एवं समान्तर्गत गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान।
2. यात्री गाड़ियों को रखना तथा अन्तरंग सहायक स्टेशन मास्टर की गाड़ी लेने वाली लाइनों का नियतन।

(के0एस0सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

3. यात्री गाड़ियों पर सम्पन्न की जाने वाली शटिंग का पर्यवेक्षण।

4. समान्तर्गत रैको को रखने को सुनिश्चित करना।
5. जाने वाली गाडियों के चालकों को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
6. कोचिंग स्टाप एवं गुडस स्टाप के संचालन के बारे में सभी आदेशों एवं सूचनाओं का अनुपालन करना।
7. कोचिंग स्टाप के लिये स्टेशन डायरी एवं स्टेशन आदेश पुस्तिका को सगृह्यत करना।
8. अपने कार्य के दौरान यात्री गाडियों एवं विशेष गाडियों की देखभाल करना।
9. जब स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन मास्टर व सहायक स्टेशन मास्टर को **सम्बोधित स्थिति** सूचनाओं पर कार्यवाही करना और यह देखना कि उन पर उचित कार्यवाही की गई है।
10. माल एवं यात्री गाडियों के गाडो को बुक करना।
11. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
12. अपने नियंत्रण के सीजर क्लास ओवर काटों पर व्यक्तिगत पर्यवेक्षण।
13. प्रारम्भिक गाडियों के लिये उन्हे प्रस्थान के लिये प्रधिकृत करने के पूर्व गाडी परीक्षक का फिट में प्राप्त करना।
14. शेड्यूल के अनुसार माल गोदाम के अन्दर एवं बाहर समय से स्टाक को रखना तथा उठाना।
15. एस0ई0-32 पंजिका और अन्तर्पार्शन विफलता पंजिका को संगृह्यत करना।
16. अन्तरंग सहायक स्टेशन मास्टर का सामान्य पर्यवेक्षक।
17. यार्ड में दुर्घटना पर उपस्थिति होना तथा नियमानुसार तुरन्त कार्यवाही करना।
18. गाडियों के आगमन तथा प्रस्थान के लिये लाइन का नियतन तथा तदनुसार अन्तरंग सहायक स्टेशन मास्टर को सूचित करना। इसके बाद सुनिश्चित करना कि लाइन जिस पर गाडी लेना है साफ एवं अवरोधो से मुक्त है।
19. पश्चिम छोर पर काँटों एवं सिगनलों की विफलता की स्थिति में सामान्य नियम 3.69, 3.70 3.39 (ii) का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

2 **केबिनमैन** –

- I. केबिनमैन केबिन से प्रचालित होने वाले काटों, सिगनलो तथा समपार फाटकों के प्रचालन के लिये उत्तरदायी है।
- II. वे निर्धारित समय पर अपने कार्य पर उपस्थित होंगे और विधिवत मुक्त न होने तक डियूटी से आफ' नहीं होंगे।
- III. सभी लीवरों को कार्य पूरा होने पर जिसके लिये उन्हे खींचा गया था, तुरन्त उनकी सामान्य दशा में वापस कर देना चाहिये।

(के0एस0सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

4

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/23

कासगंज जं0

परिशिष्ट 'ध'

- IV. वे केबिन से संचालित सिगनलों पर यह देखनं के लिये की भुजायें झुकी हुई है या नहीं तथा सामने एवं पीछे की बत्तियाँ रात्रि में चमकती हुई जल रही है।, समय समय पर निगाह रखेंगे। सिगनल को झुकाने के लीवर खींचने के पश्चात् उसे

देखना चाहिये कि भुजायें विधिवत् रूप से झुक गई है और जब सिगनल पुनः उठाये तो उसे देखना चाहिये कि सिगनल विधिवत् रूप से खतरे के लिये वापस हो चुके है।

- V. उसे आवश्यकता पडने पर केबिन में प्रदत्त तार सामायोजक के माध्यम से सिगनल तारों को समायोजित करना चाहिये।
- VI. लीवरो पर अधिक बल नही लगाना चाहिये । यदि किसी लीवर को 'आफ' के लिये खीचनें में अथवा वापस करने में कठिनाई हो तो सत्र प्रथम देखना चाहिये कि क्या अन्य लीवर सही स्थिति में है और यदि सब चीजे ठीक है तो खराब लीवरों को ठीक करने के लिये तुरन्त सिगनल विभाग को बुलाना चाहिये।
- VII. अन्तपार्शन गेयर में कोई खराबी, दूरभाष की खराबी को सभी दुर्घटनायों की तरह शीघ्र सहायक स्टेशन मास्टर को सूचित करना चाहिये।
- VIII. दुर्घटना को रोकने के अतिरिक्त केबिन में किसी शटिंग कर रही गाडी को झंडी, हाथ सकेंत बत्ती अथवा हाथ द्वारा कोई सिगनल नही दिखायेगा। किन्तु काटे सेट करने के लिये और सिगनल झुकाने के लिये, सुरक्षित संचलन के लिये वह कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर तथा लाइन जमादार के आदेशों का सम्मान पुर्वक पालन करेगा और जब आवश्यकता पूर्ण हो गई तो उन्हे मौखिक रूप से बतायेगा।
- IX. किसी अनाधिकृत व्यक्ति के केबिन में प्रवेश करने अथवा इसमें लगे किसी यन्त्र को चलाने की अनुमति नही देना चाहिये।
- X. शटिंग उदेश्यों एवं गाडियों के आगमन तथा प्रस्थान के लिये प्रचालित किये गये पाशयुक्त काटों को अवश्य पार्शित कर दिया जाय। पटरी से उतरने का कारण काटों को खुला छोडने तथा उन पर से गाडी अथवा गाडी के किसी भाग को गुजरने से पूर्व ही विपरीत कर देना भी है।
- XI. केबिनमें केबिन के निचले भाग में अथवा पाशन कक्ष में प्रवेश नही करेगा और वह देखेगा कि सिगनल विभाग के अधिकृत व्यक्ति द्वारा जब खोला जाये, के अतिरिक्त ये लाक रहें।

4. गाडी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत कौटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाडियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाडियों की शान्तिग के संबंध में दिये गये आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत कौटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये कौटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है –

(के0एस0सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

5

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/23

कासगंज जं०

परिशिष्ट 'ध'

(क) गाडियों के आगमन/प्रस्थान एवं शान्तिग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे –

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना।

2. काटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवेक्षण में काटों को सेट एवं पाशित करना।
3. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधों से मुक्त एवं साफ है।
4. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि के समय फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाडी के पूरी आने जाने को सुनिश्चित करना।
5. यदि आवश्यक हो तो अनुमुख काटों के पास रह कर रक्षित करना।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाडी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाडियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।
7. आवश्यकता पडने पर गाडियों का पथ प्रदर्शन करना।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार फाग सिगनल लगाना।
9. सिगनल लैम्पों, को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना।
10. उनके प्रभार में काटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना।

- I) सिगनल, काटों, क्रासिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के संबंध में।
- II) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा हाने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।

1. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनों की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
2. स्टेशन पर वाहनों को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

(ख) जब केबिन पर कार्यरत हो तब उसके निम्न कर्तव्य होंगे –

केबिनमैन के निर्देश पर वांछित मार्ग के लिये लीवरों को प्रचालित करना तथा सम्बन्धित समपार को बन्द करना।

(ग) जब केबिन पर कार्यरत हो तब उसके निम्न कर्तव्य होंगे –

- क. शंटिंग मास्टर के आदेशों के अन्तर्गत वैगनों/वाहनों को जोड़ना तथा काटना।
- ख. शंटिंग कार्य में शंटिंग मास्टर की सहायता करना तथा हाथ संकेत देना।
- ग. वाहनों का काटते एवं जोड़ते समय इंजन को वाहनों से अलग तथा जोड़ते समय स्प्रेग लागाना एवं संरक्षा जंजीर को बॉध कर ताला लागाना तथा अन्य कार्य।

(के0एस0सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

जो कॉटे, कॉटेवाले द्वारा प्रचालित होते हैं, उनका वह पूर्ण प्रभारी होगा। वह कॉटो के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करेगा। यदि उसको, कॉटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे कॉटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

5. परिचालन कर्मचारियों के अन्तर्गत शंटिंग मास्टर के कर्तव्य –

- क. सामान्य पर्यवेक्षण
- ख. सभी वैगनों/वाहनों को जोड़ना तथा काटना और ठीक से मार्शलिंग कराना।
- ग. यह सुनिश्चित करना कि शंटिंग समाप्त होने के बाद वैगनों/वाहनों की कपलिंग ठीक ढंग से जोड़ दी गयी है।
- घ. गाडी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही हो तथा कॉटों की सही सेंटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना।
- ङ. शंटिंग के दौरान हैण्ड सिगनल दिखाना।

6 परिचालन कर्मचारियों के अन्तर्गत पोर्टर के कर्तव्य –

कार्यरत स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार अकेले अथवा उसके पर्यवेक्षण में गाडी परिचालन से संबंधित कार्य करना।

7. परिचालन कर्मचारियों के अन्तर्गत फाटक वाला के कर्तव्य –

संचालन नियम के परिशिष्ट “क” से “क-III” (यातायात समपारों) के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(के0एस0सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण –

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे –

1.	हाथ सिगनल ट्राई कलर बत्ती	10 (बैट्री चालित) 04 के0आयल (गेट 309/सी एवं 249/सी हेतु)
2.	हाथ सिगनल झण्डी	10 हरी तथा 12 लाल
3.	पटाखा सिगनल	50
4.	संरक्षा जंजीरें	08 तालों सहित (छोटी लाइन) 12 तालों सहित (बडी लाइन)
5.	क्लैम्प	10 तालों सहित (छोटी लाइन) 15 तालों सहित (बडी लाइन)
6.	अग्निशामक यंत्र	02 + 01
7.	फायर बकेट	06
8.	प्राथमिक चिकित्सा बाक्स	01
9.	लकड़ी के गुटके	30

(के0एस0सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'च'

डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

